

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 अगस्त 2019—श्रावण 11, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2019

फा. क्र. 3753-2019-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारीगण को एतद्द्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है :—

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री अवधेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नसरुल्लागांज, जिला सीहोर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मण्डला

6585

(1)	(2)	(3)
2	श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव (सीनियर), अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय, जबलपुर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नरसिंहपुर
3	श्री मोहम्मद शकील खान, तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, श्योपुर

उक्त अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकल्पनीय होगा.

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2019

फा. क्र. 1-1-88-इक्कीस-ब(एक)-3719-2019.— भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-1-88-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 6 नवम्बर 2009 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 10 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुसूची

अनुक्रमांक	सेशन न्यायाधीश/ अपर सेशन न्यायाधीश	स्थानीय क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"10.	सेशन न्यायाधीश, छतरपुर	छतरपुर"

F. No. 1-1-88-XXI-B(I)-3719-2019.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) the State Government hereby, makes the following further Amendment in this Department's Notification F. No. 1-1-88-XXI-B(1), dated 24th October 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I, dated 6th November 2009 namely:—

AMENDMENT

In the said Notification in the Schedule, for Serial Numbers 10 and entries relating thereto the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted namely:—

TABLE

S. No.	Sessions Judge/ Additional Sessions Judge	Local Area
(1)	(2)	(3)
"10.	Sessions Judge, Chhatarpur	Chhatarpur"

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2019

फा. क्र. 4075-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के अधीन श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान, ए. एस. जे. विशेष न्यायालय क्र. 7, विद्युत् अधिनियम, जिला इन्दौर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रीवा में सचिव के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है।

फा. क्र. 4076-इक्कीस-ब (दो).—राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्यांक 39) एवं यथासंशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 59) की धारा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्रीमती गिरीबाला सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर में सदस्य-सचिव के रूप में, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है।

F. No.4076-XXI-B (2) .—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No. 59 of 1994), the State Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh appoints on deputation Smt. Giribala Singh, District & Sessions Judge, Betul as Member-Secretary of Madhya Pradesh Legal Service Authority, with effect from the date he assumes office.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2019

फा. क्र. 4076-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 4076-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 24 जुलाई 2019 की पंक्ति क्रमांक 12 में the date he assumes office के स्थान पर the date she assumes office पढ़ा जावे.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2019

फा. क्र. 3631-2019-इक्कीस-ब(एक).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीशों को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवाशर्तें) नियम, 2017 के नियम-5(1)(बी) के अन्तर्गत उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070, के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करता है:—

1. श्री सूरज सिंह राठौड़
2. सुश्री सविता ओगले

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2019

क्र. एफ-2-11-2004-एस. एण्ड टी-इकतालीस.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 13-14 मार्च 2019 जिसमें डॉ. राजेश शर्मा, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ महानिदेशक, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के पद का चालू कार्यभार सौंपा गया था, को अधिक्रमित करते हुए, डॉ. राकेश कुमार आर्या, मुख्य वैज्ञानिक, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ महानिदेशक, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के पद का चालू कार्यभार, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 14 जून 2019 द्वारा नियुक्त महानिदेशक के कार्यभार ग्रहण करने तक, सौंपता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रसाद ढवले, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2019

क्र. एफ-13-09-2016-तेरह.—यतः, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ-16-05-2018-ए-ग्यारह, दिनांक 6 अप्रैल 2018 के द्वारा मेसर्स नाहर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड की मंडीदीप, जिला रायसेन में प्रस्तावित नवीन स्पिनिंग इकाई को विभिन्न विशेष सुविधायें, जिनमें विद्युत् शुल्क से छूट भी सम्मिलित है, इस शर्त के साथ प्रदान की है कि परियोजना 31 मार्च 2022 तक अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करेगी।

2. और यतः, एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 12 जून 2019 के द्वारा सूचित किया है कि परियोजना से 26 अप्रैल 2019 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो गया है तथा परियोजना के लिए अतिरिक्त विद्युत् भार 3000 केव्हीए है।

3. अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मेसर्स नाहर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड की मंडीदीप, जिला रायसेन में स्थित स्पिनिंग इकाई के विद्यमान उच्चदाब संयोजन को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या प्रदाय की गई विद्युत् पर 26 अप्रैल 2019 से शुरू होने वाले दस वर्षों की अवधि के लिए विद्युत् शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती है:

परन्तु विद्युत् शुल्क के संदाय से ऐसी छूट नवीन इकाई के कारण विद्यमान उच्चदाब संयोजन पर 3000 केव्हीए के अतिरिक्त विद्युत् भार पर ही केवल उपलब्ध होगी :

परन्तु यह और कि मेसर्स नाहर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड को विद्यमान इकाई के 132 केव्ही के संयोजन से अपनी नवीन इकाई को विद्युत् के प्रदाय पर विद्युत् शुल्क से छूट प्राप्त करने के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (ख) तथा मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क नियम, 1949 के नियम 10 के उप-नियम (1) के उपबंधों के अनुसार एक पृथक् सब-मीटर स्थापित करना आवश्यक होगा।

4. यह अधिसूचना दिनांक 26 अप्रैल 2019 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी तथा 10 वर्षों तक प्रवृत्त होगी।

No. F-13-09-2016-XIII.—WHEREAS the Industrial Policy and Investment Promotion Department vide its order No. F-16-05-2018-A-XL, dated 06th April 2018 has granted various special facilities, including exemption from electricity duty, to the proposed new spinning unit of M/s Nahar Spinning Mills Limited in Mandideep, District Raisen with the condition that the project shall start its Commercial production by 31st March 2022;

2. AND; WHEREAS, MP Industrial Development Corporation Limited vide its letter dated 12th June 2019 has intimated that commercial production from the project has been started on 26th April, 2019 and additional electrical load for the project is 3000 KVA.

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government, hereby, exempts spinning unit of M/s Nahar Spinning Mills Limited in Mandideep, District Raisen from payment of electricity duty on the Electricity sold or supplied by Distribution Licensee to existing high-tension connection for a period of ten years starting from 26th April 2019 :

Provided that such exemption from payment of electricity duty shall be available only on additional electrical load of 3000 KVA on the existing high tension connection due to new unit :

Provided further that M/s Nahar Spinning Mills Limited shall be required to install a separate sub-meter to avail exemption from payment of electricity duty on supply of power to its new unit from 132 KV connection of the existing unit, in view of the provisions of clause (b) of sub-section (2) of Section 15 of the said Act and sub-rule (1) of Rule 10 of Madhya Pradesh Electricity Duty Rules, 1949

4. This notification shall be deemed to have come in to force from 26th April 2019 and will remain in force for 10 years.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 15 जुलाई 2019

क्र. 2874-19.—इन्दौर-खण्डवा मार्ग पर माह जुलाई 2019 में धार्मिक काबड़ यात्रा होने के कारण पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक दिनांक 10 जुलाई 2019 में यह निर्णय लिया गया, कि उक्त मार्ग पर संचालित हेवी गुड्स वाहनों जो इन्दौर से खण्डवा मार्ग पर संचालित होंगे जनहित में सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक इन्दौर तेजाजीनगर से डायवर्ट रूट राज-महू मार्ग से संचालित होंगे।

आवश्यक सेवाओं में लगे निम्नलिखित वाहनों को उक्त प्रतिबंधित आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा जाता है—

- * दुग्ध वाहन
- * नगरनिगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन
- * पुलिस वाहन
- * फायर ब्रिगेड
- * पानी टैंकर
- * आर्मी के वाहन
- * विद्युत् मंडल के कार्य में संलग्न वाहन
- * एल.पी.जी./पेट्रोलियम पदार्थ वाहन
- * कृषि उपज मंडी में सब्जी ले जाने वाले वाहन
- * यात्री बसें

यह आदेश जारी दिनांक से एक माह तक प्रभावशील होगा.
लोकेश कुमार जाटव, जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश बुरहानपुर, दिनांक 18 जुलाई 2019

क्र. कले.-बुपुर-2019-4954.—इन्दौर-इच्छापुर मार्ग पर माह जुलाई-अगस्त 2019 में धार्मिक कांबड यात्रा होने के कारण पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं एवं आम नागरिक व यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक इन्दौर-इच्छापुर मार्ग पर भारी माल यान संचालित नहीं होंगे। उक्त प्रस्ताव के पालन में यह निर्णय लिया गया है कि इन्दौर-इच्छापुर मार्ग पर संचालित होने वाले भारी मालयान जनहित एवं सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 तथा केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1994 के नियम 215 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक महाराष्ट्र से आने वाले वाहन पुराना आरटीओ बैरियर से दड़तलाई, शेखपुरा होते हुए खण्डवा मार्ग से संचालित होंगे।

आवश्यक सेवाओं में लगे निम्नलिखित वाहनों को उक्त प्रतिबंधित आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा जाता है—

- * दुग्ध वाहन
- * नगरनिगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन
- * पुलिस वाहन
- * फायर ब्रिगेड
- * पानी टैंकर
- * आर्मी के वाहन
- * विद्युत् मंडल के कार्य में संलग्न वाहन
- * एल.पी.जी./पेट्रोलियम पदार्थ वाहन
- * कृषि उपज मंडी में सब्जी ले जाने वाले वाहन
- * यात्री बसें

यह आदेश जारी दिनांक से एक माह तक प्रभावशील होगा.

राजेश कुमार कौल, कलेक्टर.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
राजभवन, भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2019

क्र. एफ 53-1-रा.स.-यू.ए.-5-2016.—नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 22(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कुलाधिपतिजी ने उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के खण्ड (क), (ग) एवं (घ) के अन्तर्गत नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मण्डल में निर्मांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया है:—

(क) धारा 22 (2) (क)—पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शोध शिक्षण और विस्तारी शिक्षण का विशेष ज्ञान रखने वाले या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले दो वैज्ञानिक/शिक्षाविद—

डॉ. आर. के. मेहिया,
ई-109/29, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 9425487280

(ग) धारा 22 (2) (ग)—पशु पालन या मत्स्य पालन से संबंधित उद्यमियों का एक प्रतिनिधि—

श्री मोहन नागर,
भारत भारती आवासीय
विद्यालय परिसर जामठी,
बैतूल, म. प्र.
मो. 945003189

(घ) धारा 22 (2) (घ)—एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता—

श्रीमती राधा मिश्रा,
शिव शक्तिपुरम कॉलोनी,
धावरी, गली नं. 5,
सतना, म. प्र.
मो. 90479480751

कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,
केयूर संपत, राज्यपाल के उपसचिव.

कार्यालय, कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2019

क्र. एफ 1-4-19-रा.स.-यू.ए.1-1616.—यतः, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) की धारा 52(1) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ 01-9-2019-अड़तीस-3, दिनांक 24 जून 2019 जारी की है, जो कि दिनांक 24 जून 2019 से प्रभावशील हो गई है.

2. अतः मैं, आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की तृतीय अनुसूची में यथा उपांतरित धारा 13 एवं 14 सहपठित धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन से परामर्श करने के उपरान्त एतद्वारा डॉ. रेणु जैन, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, स्कूल ऑफ मैथेमेटिक्स, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक उक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त करती हूँ.

3. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी.

आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
क्रमांक 3-अ-82-16-17-हमलापुर-8264.— बैतूल, दिनांक 6 जुलाई 2019

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	बैतूल	हमलापुर	1.526	उप मुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाइन हेतु

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र०	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे० में	कुल अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	ओमप्रकाश, किशोर, नरेन्द्र, नरेश व. रतनलाल, पुष्पा, शांता पिता रतनलाल, संदीप व. ओमकार, अनिता पिता ओमकार, सरस्वती पति ओमकार, निवासी बैतूल गंज	274	0.938	0.230
2	रामू, फतन व. जयराम, ओमकार, प्रकाश, किशोर, नरेश, मुन्ना, पुष्पा व. रतन, फुन्दा पिता रतन, निवासी बदरूढाना	275/3	0.822	0.101
3	तुलसीराम, राकेश, राजेश व. भग्गू, लक्ष्मीनारायण व. भग्गू, लीला, रेवती पिता भग्गू सा० देह	275/1	0.821	0.121
4	अनिता व. वीरनसिंह, निवासी घाट पिपरिया	268/1	2.873	0.128
5	विनयसिंह व.दीपचंद रघुवंशी, निवासी सोनेगाँव	276/2	2.023	0.064
6	योगेशसिंह व. दीपचंद ठाकुर, निवासी बैतूलगंज	276/1	1.235	0.046
7	अरुणचंद्र व. चंद्रमूल अवस्थी, निवासी हमलापुर	266	5.731	0.324
8	गणेशराम व. छोटेलाल, निवासी हमलापुर	264/1	0.001	0.001
9	सैयद आजम अली व.हुजुब्बरअली, निवासी हमलापुर	264/2	1.417	0.163
		264/3	0.606	0.068
10	जैबूनिन्सा जौ. सैयद, जफरअली, निवासी किदवाई बाई बैतूल	264/4	0.809	0.106
11	सुभाष व. चंद्रमूल अवस्थी, निवासी बैतूल	296	0.522	0.121
12	सतीश पिता रतनलाल, निवासी हमलापुर, ग्राम नौकर	295	2.351	0.053
योग				1.526

- 1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु पत्र जारी किए गए।
- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
- 4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www. betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 6-अ-82-16-17-चकोरा-8266. —

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	बैतूल	चकोरा	0.149	उप मुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र०	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे० में	कुल अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	सुनीता बाई जो. भवानीदास, निवासी कालापाठा बैतूल	4/2	0.809	0.149
	योग			0.149

- 1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु पत्र जारी किए गए।
- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
- 4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www. betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 8-अ-82-16-17-हमलापुर-8261

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है0में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	बैतूल	भैसदेही	0.657	उप मुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र0	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा है0 में
1	2	3	4	5
1	गुठानी व0 किसनलाल जाति कुन्बी निवासी भैसदेही	132/1	0.303	0.100
2	नत्थु व0 बिसनलाल जाति कुन्बी निवासी भैसदेही	132/2	0.076	0.028
3	बाबूलाल, सुकू, लुटूराम, रेखाराम, ख्यालीराम, व0 दल्लू, नौसी बेवा दल्लू जाति कुन्बी निवासी भैसदेही	137	0.308	0.072
4	देवमन व0 रामलाल जाति कुन्बी निवासी भैसदेही	138/1	0.202	0.084
5	रामकली जौजे सुखदेव जाति कुन्बी निवासी भैसदेही	138/2	0.405	0.083
		138/3	0.203	0.069
6	दमयन्ती जौजे कल्लूसिंग, मालती जौजे लल्लूसिंग, रघुवंशी निवासी भैसदेही	140	0.554	0.221
योग				0.657

1- चूँकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु पत्र जारी किए गए।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 9-अ-82-16-17-बाजपुर-8265.—

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	बैतूल	बाजपुर	0.778	उप मुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र०	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे० में	कुल अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	भूपेन्द्र कुमार व० लक्ष्मीनारायण निवासी बैतूल गंज	1	1.967	0.282
2	सदू व० किसनलाल निवासी रावनबाड़ी	2	1.299	0.234
3	हकीमुद्दीन व० अब्दुल हुसैन, हुसैनाबी, बाई बेवा आसिफ हुसैन, मोईज भाई, अली असगर खां, व० आसिफ हुसैन, मुस्तफा हुसैन व० दाउदभाई निवासी बैतूल	4	0.295	0.262
योग				0.778

1- चूँकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु पत्र जारी किए गए।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 10-अ-82-16-17-केलापुर-8269.—

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	बैतूल	केलापुर	0.867	उप मुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क०	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे० में	कुल अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	जगन्नाथ व. रतन, निवासी भैसदेही	95	0.421	0.122
2	रतन व. छोटेला, निवासी केलापुर	96	0.704	0.152
3	भूरू व. शिवबक्स, निवासी खेडली	97 / 1	1.032	0.143
4	जशोदा जी. सुखनंदन, निवासी भैसदेही	97 / 2	0.405	0.109
5	मल्लू व. नौकेलाल, निवासी उमरी	98 / 1	0.479	0.132
6	शिवदयाल व. नौकेलाल, निवासी उमरी	98 / 3	0.971	0.048
7	सुगन्ती बेवा मुन्शी, परसराम, सुखदेव, वासुदेव व. मुन्शी, विमला, गंगा, जमना, रामबाई, श्यामबाई पिता मुन्शी, निवासी उमरी जागीर	99	1.536	0.161
योग				0.867

1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु पत्र जारी किए गए।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 37-अ-82-16-17-भिलाई-8268.—

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	भिलाई	0.150	उप मुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र०	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	बेलाबाई पिता रोन्धा सा० हेटीखापा, मैनी पिता रोन्धा सा० एनस रेखाबाई पिता रोन्धा सा० जोलखेड़ा, रमेश, रूपेश पिता श्यामू, उमा, शारदा, नर्मदा पिता श्यामू सा० भिलाई	111	0.555	0.004
2	बेबी बेवा चिन्तामन, अनिल, संजय पिता चिन्तामन, सीमा, मीना पिता चिन्तामन, छोटेलाल, रामराव वल्द जगला सा० मुलताई चैत्या व० पतिराम सा० परमंडल	107 108	3.315 0.170	0.115 0.031
योग				0.150

1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया गया है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 32-अ-82-16-17-चिखलीखुर्द-8262.—

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	चिखलीखुर्द	0.039	उप मुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र०	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे० में	कुल अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	बापूराव व. डेबु, संतु व. डेबु, मारोती, महादेव,सहदेव व. सीताराम, सिन्धु व. सीताराम, चन्द्रभान, राजु व. भगवान, सुमीत्रा व. भगवान, गीता बेवा सुरेश राहुल ना.बा. व. सुरेश वली मां गीता, गणेश, दिनेश व. अजाबराव, भूरो व. अजाबराव भागरती बेवा अजाबराव, मखू व. बारक्या, जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	295	0.935	0.039
योग				0.039

1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु पत्र जारी किए गए।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 33-अ-82-16-17-कामथ-8267

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	कामथ	0.199	उप मुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

**अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)**

क्र०	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	सावन्या व. राधेलाल, जाति पंवार, साकिन देह भूमि स्वामी	9/6	0.446	0.004
2	विश्वपालसिंह व. नत्थूसिंह, रघुवंशी, मनमोहनसिंह व. छोटेसिंह रघुवंशी, पप्पु व. छोटेलाल,साकिन मोरखा, भैयालाल व. शिवबा जाति अ०जा० निवासी ग्राम छिन्दी भूमि स्वामी	10/1	0.817	0.171
3	कुंजबिहारी , मोहनलाल, जुगलकिशोर व. रतनलाल, कमला व. रतनलाल,जाति तेली साकिन मुलताई	32/2	0.247	0.022
4	करुणा जौ. सुभाष, प्रीति जौ० राजेश, जाति कुन्बी, सा.मुलताई	33/5	0.744	0.002
	योग:-		2.254	0.199

1- चूँकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया गया है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विव्त्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 34-अ-82-16-17-थावरिया-8263

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है0में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	थावरिया	0.240	उप मुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र0	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा है0 में
1	2	3	4	5
1	कृष्णराव वल्द दमडू चंदना, इंदूबाला पिता दमडू कमला पिता दमडू बुन्दा पिता गोपाल यादोराव वल्द लंगड़ा शोभा बाली कंचू पिता सुखदेव जान्या, भीमा,नंदू पिता कशो शकुन ललीता, भूरा प्रमिला पिता केशो अनिता बेवा भैयालाल जयराम ना.बा.वल्द भैयालाल कंचना, अर्चना पिता भैयालाल जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द	48	0.138	0.064
2	बाया बेवा माधोराव, राकेश, नत्थू वल्द माधोराव, सुशीला, कुसुम पिता माधोराव जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द	49	0.105	0.021
3	बाया बेवा माधोराव, राकेश, नत्थू वल्द माधोराव, सुशीला कुसुम पिता माधोराव जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द	50/1	0.018	0.002
4	संतोष, कृष्णा वल्द शेषराव, अनिता पिता शेषराव, अंजू बेवा साहेबराव, अशोक राजू पिता साहेबराव छया, माया पिता साहेबराव साकिन चिखली खुर्द	50/2	0.018	0.002
5	वारूल बेवा पंजाबराव, महादेव वल्द पंजाबराव, सुनिता, गीता पिता पंजाबराव, बाबूराव वल्द जिजोबा, गुन्ता बेवा डोमा ,वात्या, जगन वल्द डोमा, सुमन बेवा कचरू, पंचफुला ना.बा. पिता कचरू वली मा सुमन धर्मून्द्र, जितेन्द्र वल्द कृषक साकिन चिखलीखुर्द	50/3	0.069	0.008

6	राजाराम वल्द तीमा जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द	51/1	0.151	0.005
7	रूपराव, यादोराव, सुरेश वल्द कास्या राधो किसनी कमला पिता कास्या, पिखी बेवा कास्या जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द	51/2	0.152	0.005
8	संतोष वल्द भैया जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द	51/3	0.076	0.002
9	रामराव, रामचन्द्र उर्फ चन्द्रभान वल्द श्यामा जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द	51/4	0.152	0.005
10	गया बेवा पंजाबराव अर्चना बेवा अनिल, जिया ना.बा.वल्द अनिल वली मां अर्चना, मनीष वल्द पंजाबराव, मनीषा, मीना, लीना पिता पंजाबराव जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द	51/5	0.076	0.002
11	रामराव वल्द आनंदराव, बुधराव नान्ही बेवा भददू ओमप्रकाश यशवंतराव संतोषराव, भीमराव वल्द भददू सुमन ललीता संध्या पिता भददू जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द	53/1	0.453	0.025
12	पंजाबराव, साहेबराव, गणपतराव भोजराव, वल्द रामा, कलाबाई पिता रामा साकिन पारडसिंगा	61/1	2.225	0.017
13	श्यामराव व० पाण्डू साकिन चिखलीखुर्द	62	3.264	0.043
14	कमला बेवा उमराव, राजू उर्फ राजेश, मुकेश व० उमराव, उमा, रेखा, गीता पिता उमराव सा० देह	63	1.772	0.038
योग:-				0.240

1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया गया है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र.-ए-1368-69

राजगढ़, दिनांक 8 जूलाई 2019

पूरक - अधिसूचना (धारा 19)

(अंतर्गत धारा - 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया बॉध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

ग्राम - सुरजपुरा		तहसील - जीरापुर	जिला राजगढ़
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर	
		कुल रकबा	
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	4.046	1.010
योग		4.046	1.010

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	भूमि का अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	भूरीबाई पति रायसिंह शारदाबाई पति लालसिंह जाति दागी पता निवासी ग्राम बालाहेडा भूमि स्वामी	88/12	2.023	0.570
योग			2.023	0.570
2	कृष्णाबाई पति अमरसिंह रूकमाबाई पति सिद्धलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	88/6	2.023	0.440
योग			2.023	0.440
कुल योग			4.046	1.010

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी खिलचीपुर कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-ए-1370-71

अधिसूचना**पूरक - प्रकरण**

अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30. संन 2013) चूकी राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम टोलीघाटा के लिये डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 संन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - टोलीघाटा		तहसील - सारंगपुर		जिला - राजगढ़	
स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर			
		कुल रकबा	अर्जित रकबा		
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	23.264	9.204		

अनुसूची (2)

1. कुण्डलिया बांध परियोजना में प्रभावित होने से

स.क्र.	कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	पूर्व में अर्जित हो चुका रकबा	प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा	योग	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मोहन पिता रामनारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	178/1	0.475	0.113	0.362	0.475	
	योग:-		0.475	0.113	0.362	0.475	
2	राधेश्याम पिता रामनारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	178/2	0.475	0.113	0.362	0.475	
	योग:-		0.475	0.113	0.362	0.475	
3	देवसिंह पिता रामनारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	178/3	0.474	0.113	0.361	0.475	
	योग:-		0.474	0.113	0.361	0.474	
4	गोविंद पिता शंकर जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	178/4	0.474	0.112	0.362	0.474	
	योग:-		0.474	0.112	0.362	0.474	
5	गोकूल पिता माधु जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	18/5	0.392	0.291	0.101	0.392	
		30/2	0.163	0.133	0.030	0.163	
	योग:-		0.555	0.424	0.131	0.555	
6	सजनसिंह पिता देवीसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	15/1/1	0.506	0.370	0.136	0.506	
	योग:-		0.506	0.370	0.136	0.506	
7	कालुसिंह पिता बल्देव जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	66/2	0.185	0.095	0.090	0.185	
	योग:-		0.185	0.095	0.090	0.185	
8	जयनारायण, बद्रीलाल पिता कालुसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	175/2	2.379	2.219	0.160	2.379	
	योग:-		2.379	2.219	0.160	2.379	

स.कं.	कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	पूर्व में अर्जित हो चुका रकबा	प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा	योग	टिप्पणियाँ
2	3	4	5	6	7	8	
9	कालूसिंह पिता हीरा, राधेश्याम पिता हीरा, जीवन पिता हीरा, राजू बाई पिता हीरा जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	74/3/1	2.404	1.004	1.400	2.404	
	योग:-		2.404	1.004	1.400	2.404	
10	बनेसिंह,कैलाश पिता हिन्दुसिंह, गीताई बेवा हिन्दूसिंह जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	62/3	1.674	0	0.500	0.500	
		64	0.328	0	0.328	0.328	
	योग:-		2.002	0	0.828	0.828	
11	शांताबाई बेवा रमेश रूकमा बाई पुत्री रमेश जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	174/1/3	1.000	0	1.000	1.000	
		2/2/1	0.505	0	0.505	0.505	
		142/1	0.057	0	0.057	0.057	
		261/1	0.095	0	0.095	0.095	
		162/1	0.006	0	0.006	0.006	
		163/1	0.304	0	0.304	0.304	
		143/1	0.057	0	0.057	0.057	
	योग:-		2.024	0	2.024	2.024	
12	करणसिंह पिता पूरा, शैतानबाई, छायाताबाई पिता पूरा जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूस्वामी	174/1/6	1.000	0.700	0.300	1.000	
	योग:-		1.000	0.700	0.300	1.000	
13	देवसिंह पिता भागीरथ जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	174/1/5	1.000	0.700	0.300	1.000	
	योग:-		1.000	0.700	0.300	1.000	
14	सिद्धनाथ पिता किशन जाति बेलदार जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	174/1/2	1.000	0.700	0.300	1.000	
	योग:-		1.000	0.700	0.300	1.000	
15	शंकरलाल पिता पूरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	174/1/1	1.000	0.700	0.300	1.000	
	योग:-		1.000	0.700	0.300	1.000	
16	लक्ष्मीनारायण पिता मथुरालाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	18/1	0.778	0.608	0.170	0.778	
	योग:-		0.778	0.608	0.170	0.778	
17	रामप्रसाद पिता मथुरालाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	18/2	0.795	0.613	0.182	0.795	
		24/2/2	0.065	0.045	0.020	0.065	
	योग:-		0.860	0.658	0.202	0.860	
18	कमलाप्रसाद पिता मथुरालाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	18/3	0.939	0.695	0.244	0.939	
	योग:-		0.939	0.695	0.244	0.939	

स.कं.	कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	पूर्व में अर्जित हो चुका रकबा	प्रस्तावित पुरक प्रकरण अर्जित रकबा	योग	रिमांक
क्र	2	3	4	5	6	7	8
19	गुलाबसिंह पिता रामनारायण जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	18/4	1.047	0.855	0.192	1.047	
	योग:-		1.047	0.855	0.192	1.047	
20	बद्रीलाल पिता मथूरालाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	24/3	0.024	0.020	0.004	0.024	
	योग:-		0.024	0.020	0.004	0.024	
21	देवीसिंह पिता रामसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	15/3/2	0.455	0.37	0.085	0.455	
	योग:-		0.455	0.37	0.085	0.455	
22	हरिसिंह पिता धुला एवं बापुसिंह पिता देवीसिंह जाति दांगी पता निवासी ग्राम सेदरा भूमि स्वामी	15/1/2	1.012	0.84	0.172	1.012	
	योग:-		1.012	0.84	0.172	1.012	
23	रामनारायण पिता कंवरलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	24/1	0.089	0.055	0.034	0.089	
	योग:-		0.089	0.055	0.034	0.089	
24	हरिप्रसाद पिता नारायण जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	24/2/1	0.065	0.045	0.020	0.065	
		30/1	0.287	0.207	0.080	0.287	
	योग:-		0.352	0.252	0.100	0.352	
25	बनेसिंह, चन्द्रसिंह, रामलाल, बाबूलाल, गंगाराम, विष्णुप्रसाद, सुगंधबाई, सरजूबाई पिता लालसिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	15/3/1	0.455	0.370	0.085	0.455	
	योग:-		0.455	0.370	0.085	0.455	
26	प्रभूलाल आ. भंवरलाल जाति बेलदार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	174/1/3	1.300	0.800	0.500	1.300	
	योग:-		1.300	0.800	0.500	1.300	
	कुल योग:-		23.264	12.886	9.204	22.089	

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-ए-1372-73

पूरक अधिसूचना

अंतर्गत धारा - 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूँकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम कायथा के लिये डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - कायथा	तहसील - जीरापुर	जिला - राजगढ़
स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	कुल रकबा अर्जित रकबा
		36.056 27.993

अनुसूची (2)

1. कुण्डलिया बांध परियोजना में प्रभावित होने से

स.क्र.	कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	पूर्व में अर्जित हो चुका रकबा	प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	शिवनारायण आ. उंकारबगस जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	2/2 2/3	2.528	00	2.528	
	योग:-		2.528	00	2.528	
2	किशनलाल पिता नानूराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	2/4	1.264	00	1.264	
	योग:-		1.264	00	1.264	
3	रामेश्वर पिता छोटूलाल जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	2/5	3.794	00	2.994	
	योग:-		3.794	00	2.994	
4	बीरभान गब्बा आ. लाल जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	2/6	3.794	00	3.794	
	योग:-		3.794	00	3.794	
5	दुर्गालाल पिता डालु जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	2/7	3.794	00	3.794	
	योग:-		3.794	00	3.794	
6	मांगीलाल आ. मेधा जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	2/8	3.794	00	3.794	
	योग:-		3.794	00	3.794	
7	शिवनारायण आ. उंकारबगस रामनारायण आ. रामबगस जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	2/9/1	2.024	00	1.914	
	योग:-		2.024	00	1.914	

स.क.	कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	पूर्व में अर्जित हो चुका रकबा	प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा	योग
1	2	3	4	5	6	7
8	जगदीश आ. प्रहलाद सिद्धनाथ आ. हजारीलाल दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	2/9/2	2.024	00	0.330	
	योग:-		2.024	00	0.330	
9	बल्देव बट्टीलाल जगन्नाथ देवसिंह किशनलाल जमनीबाई पिता नाथू जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/3	0.038	00	0.038	
	योग:-		0.038	00	0.038	
10	हरिसिंह मांगीलाल पिता पन्नालाल मेहताब बाई वैबा पन्नालाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/4	5.059	00	3.169	
	योग:-		5.059	00	3.169	
11	मांगीलाल पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/5/1	2.530	00	0.091	
	योग:-		2.530	00	0.091	
12	उदालाल पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/5/3	1.264	00	0.134	
	योग:-		1.264	00	0.134	
13	पर्वत उंकार सोदान सिंह पिता रतन छमा बाई बैवा रतन जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/6	2.529	00	2.529	
	योग:-		2.529	00	2.529	
14	रोडा बट्टी रामसिंह देवसिंह आ. गब्बा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/9	1.265	00	1.265	
	योग:-		1.265	00	1.265	
15	ज्ञानसिंह संतोषबाई पिता रामलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	17/1/4	0.355	00	0.355	
	योग:-		0.355	00	0.355	
	कुल योग:-		36.056	0	27.993	

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि निवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी, भू-राजस्व एवं पुनर्वास तहसील-सामनगर, जिला सतना (मध्यप्रदेश)

क्रमांक 223-भू-अर्जन-कार्य-2019

रामनगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	4	5	6
1	ग्राम-दधीच टोला, पटवारी हल्का-17 दधीच टोला, रा.नि.म.-बड़वार, तहसील-रामनगर	292	0.781	0.025
2		292/1	0.458	
3		292/2	0.323	
4		293	0.142	0.016
5		286	0.656	0.021
6		285/324/1	0.283	0.020
7		285/324/2	0.405	
8		285/1/क	2.527	0.123
9		285/1/ख/1	0.810	
10		285/1/ख/2	0.810	
11		285/1/ख/3	1.216	
12		285/1/ख/4	0.202	
13		285/1/ख/5	0.608	
14		285/1/ख/6	0.810	
15		285/1/ख/8	1.214	
16		285/1/ख/8/क	0.202	
17		285/1/ख/8/ख	0.608	
18		285/1/ख/9	0.810	
19		285/2	0.607	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	19 किता	13.472	0.205
1	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	322	6.187	0.025
2		320	4.896	0.116
3		317	4.047	0.108
4		316/1	1.154	0.013
5		294	0.328	0.015
6		295	0.356	0.042
7		288	0.077	0.004
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	7 किता	16.284	0.262
	अ + ब का योग-	कुल 26 किता	29.756	0.467

क्रमांक 224-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	4	5	6
	ग्राम-चामर, पटवारी हल्का-17 दधीच टोला, रा.नि.म.-बड़वार, तहसील-रामनगर	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	0.000	0.000
1		178	32.404	0.066
2		117	0.886	0.030
3		116	0.105	0.004
4		114	0.348	0.021
5		113	0.162	0.005
6		111	0.765	0.050
7		112	0.008	0.002
8		120	0.049	0.013
9		119	0.583	0.011
10		121	0.178	0.015
11		9	0.817	0.044
12		122	0.466	0.002
13		8	0.668	0.024
14		4/223	0.603	0.018
15		4	7.827	0.091
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-		45.869	0.396
	अ + ब का योग-	कुल 15 किता	45.869	0.396

क्रमांक 225-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	4	5	6
1	ग्राम -दुअरिया, पटवारी हल्का-05 कुदरी कला, रा.नि.म.-बडवार, तहसील-रामनगर	14/1	0.809	0.007
2		14/2	2.468	
3		13	0.328	
4		258	0.210	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	4 किता	3.815	0.040
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	0 किता	0.000	0.000
	अ + ब का योग-	कुल 4 किता	3.815	0.040

क्रमांक 226-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	4	5	6
1	ग्राम-खैरहनी, पटवारी हल्का-कुदरी कला, रा.नि.म.-बडवार, तह- रामनगर	165/1	1.089	0.075
2		165/2	0.121	
3		161/1	1.384	0.035
4		161/2	1.982	
5		138	0.890	0.024
6		94/1	0.488	0.021
7		94/1/1/ख	0.022	
8		94/2/2/क	0.008	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	8 किता	5.072	0.155
1		162	3.982	0.093
2		163	0.283	0.007
3		135	0.959	0.029
4		93	3.881	0.004
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	4 किता	9.105	0.133
	अ + ब का योग-	कुल 12 किता	14.177	0.288

क्रमांक 227-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-मैरटोला, पटवारी हल्का-05 कुदरी कला, रा.नि.म.-बड़वार, तहसील-रामनगर	63/1	0.061	0.004
2		63/2	0.057	
3		63/3	0.061	0.019
4		62/1	1.320	
5		62/2	1.319	
6		62/3	1.315	0.004
7		64/1/क/1	0.053	
8		64/1/क/2	0.057	
9		64/1/क/3	0.219	
10		64/1/ख	0.020	
11		64/1/ग	0.020	
12		64/2	0.016	
13		64/3	0.016	0.006
14		68/1	0.335	
15		68/2/1/क	0.016	
16		68/2/क	0.144	
17		68/2/ख	0.105	
18		68/2/ग	0.101	0.031
19		65/1/क	0.113	
20		65/1/ख	0.109	
21		65/2	0.016	
22		65/3	0.514	0.032
23		66	1.028	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	23 किता	7.015	0.096
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	0 किता	0.000	0.000
		कुल 23 किता	7.015	0.096

क्रमांक 228-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	
1	ग्राम-टटेहरा टोला, पटवारी हल्का-05 कुदरी कला, रा.नि.म.-बड़वार, तहसील-रामनगर	43/1/क	0.004	0.003	
2		43/1/ख	0.008		
3		43/1/ग	0.004		
4		43/1/घ	0.004		
5		43/2/क	0.016		
6		43/2/ख	0.016		
7		43/2/ग	0.020		
8		43/2/घ	0.021		
9		42/1/क/1	0.153	0.056	
10		42/1/क/2	0.149		
11		42/1/क/3	0.149		
12		42/1/क/4	0.152		
13		42/1/ख	1.081		
14		42/2	0.833		
15		20	0.089		0.007
16		21	1.959		0.006
17		27/1	0.283	0.013	
18		27/2	0.789		
19			26/1	0.037	0.005
20			26/2	0.036	
21			25/1	0.469	0.020
22			25/2	0.469	
23			28/1	0.065	0.003
24			28/2	0.081	
25			29/1	0.947	0.016
26			29/2	0.437	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	26 कित्ता	8.271	0.129	
	(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-	0 कित्ता	0.000	0.000	
		कुल 26 कित्ता	8.271	0.129	

क्रमांक 229-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-धनवाही, पटवारी हल्का-09 टेगना, रा.नि.म. बड़वार, तहसील-रामनगर	646/1	0.059	0.003
2		646/2	0.058	
3		598/1	0.684	0.019
4		598/2	0.684	
5		645/1	0.032	0.002
6		645/2	0.032	
7		645/3	0.032	
8		599/1	0.466	0.019
9		599/2	0.466	
10		599/3	0.466	
11		607	0.117	0.002
12		606/1	0.635	0.026
13		606/2	0.640	
14		600/1/क	0.024	0.003
15		600/1/ख	0.024	
16		600/2	0.045	
17		603/1	0.556	0.016
18		603/2	0.545	
19		539	0.150	0.003
20		538	1.016	0.020
21		512	0.647	0.024
22		513	0.348	0.009

23	504/1	0.316	0.015
24	504/2/क	0.083	
25	504/2/ख	0.004	
26	504/2/ग	0.083	
27	435	0.045	0.002
28	503/1	0.058	0.009
29	503/2	0.059	
30	442/1/क	0.084	0.023
31	442/1/ख	0.084	
32	442/1/ग	0.085	
33	442/1/घ	0.085	
34	442/2	0.334	
35	443	0.028	0.002
36	445/1/क	1.415	0.015
37	445/2	0.129	
38	446/1	0.012	0.010
39	446/2	0.121	
40	448	0.097	0.003
41	450	0.113	0.001
42	451/1	0.048	0.011
43	451/2	0.049	
44	452/1/क	0.170	0.007
45	452/1/ख	0.044	
46	452/2	0.215	
47	460/1	0.027	0.003
48	460/2	0.009	
49	459/1	0.264	0.004
50	459/2	0.088	
51	457/1	0.021	0.002
52	457/2	0.021	
53	456/1/क	0.042	0.013
54	456/1/ख	0.042	
55	456/1/ग	0.041	
56	456/2	0.063	
57	456/3	0.063	
58	454	0.049	0.003
59	228/1	0.130	0.012
60	228/2/क	0.056	
61	228/2/ख	0.056	
62	228/2/ग	0.057	

63		230/1	0.020	
64		230/2/क	0.010	0.006
65		230/2/ख	0.010	
66		232/1	0.017	
67		232/2	0.069	0.009
68		232/3	0.018	
69		232/4	0.017	
70		233	0.125	
71		233/1	0.089	0.034
72		233/2	0.089	
73		233/3	0.089	
74		209	2.630	
75		209/1	0.322	0.015
76		209/2	0.362	
77		209/3	2.025	
78		236/1	0.975	
79		236/2	0.325	0.009
80		236/3	0.325	
81		236/4	0.326	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	81 किता	20.359	0.354
1		434	0.069	0.001
2		222/1	1.132	
3		222/2	0.053	0.004
4		222/3	1.012	
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	4 किता	2.266	0.005
		कुल 85 किता	22.625	0.359

क्रमांक 230-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-दतवार, पटवारी हल्का-9 टेगना, रा.नि.म.-बड़वार, तहसील-रामनगर	74/1	1.595	0.009
2		74/2	1.595	
3		75/1	0.032	0.002
4		75/2	0.032	
5		57	1.668	0.025
6		33/1	0.968	0.029
7		33/2	0.967	
8		36	0.125	0.002
9		30	1.177	0.023
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	9 किता	8.159	0.090
1		78	0.951	0.007
2		62	0.769	0.025
3		60	1.210	0.030
4		58	1.053	0.012
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	4 किता	3.983	0.074
		कुल 13 किता	12.142	0.164

क्रमांक 231-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-टेगना, पटवारी हल्का-09 टेगना, रा.नि.म.-बड़वार, तहसील-रामनगर	525/1	4.059	0.063
2		525/2	0.300	
3		518	0.709	0.026
4		517	0.089	0.004
5		510/1	0.559	0.024
6		510/2	0.554	
7		343/548/1	0.144	0.021
8		343/548/2	0.143	
9		343	0.113	0.002
10		344	0.434	0.022
11		345	0.024	0.004
12		346	0.166	0.001
13		349	0.121	0.008
14		350	0.061	0.004
15		351	0.065	0.007
16		282	0.194	0.012
17		281/1	0.243	0.009
18		281/2	0.010	
19		280	0.210	0.007
20		260	1.538	0.013
21		262	0.089	0.008
22		261	0.053	0.005
23		255/1	0.886	0.015
24		255/2	0.502	
25		256	0.093	0.008
26		257/1	0.410	0.019
27		257/2	0.270	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	27 किता	12.039	0.282
1		241	0.583	0.003
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	1 किता	0.583	0.003
		कुल 28 किता	12.622	0.285

क्रमांक 232-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-बड़ाइटमा, पटवारी हल्का-01 बड़ाइटमा, रा.नि.म.-बड़वार, तहसील-रामनगर	674/1	0.150	0.005
2		674/2	0.150	
3		674/3	0.150	
4		856	0.365	0.015
5		855	1.453	0.001
6		675/1	0.180	0.046
7		675/2	0.180	
8		675/3	0.179	
9		679/1/क	0.229	0.001
10		679/1/ख	0.228	
11		679/1/ग	0.228	
12		679/2/क	0.103	
13		679/2/ख	0.104	
14		679/2/ग	0.104	
15		679/2/घ	0.104	
16		855/921/1	0.354	0.009
17		855/921/3	0.354	
18		855/921/4	0.354	
19		683/1	0.291	0.013
20		683/2	0.292	
21		684	0.652	0.006
22		854/1	1.052	0.046
23		854/2	0.405	

24	851	0.033		
25	851/1	0.202		
26	851/2	0.607		
27	851/3/क	0.133		
28	851/3/ख	0.138		
29	851/3/ग	0.126		
30	851/3/घ	0.126	0.026	
31	851/3/ङ	0.121		
32	851/3/च	0.126		
33	851/3/छ	0.121		
34	851/3/ज	0.121		
35	851/4	0.607		
36	851/5	0.202		
37	851/6	0.405		
38	759/1	0.674		
39	759/2/क	0.152	0.006	
40	759/2/ख	0.152		
41	850	1.267	0.009	
42	849	0.607	0.005	
43	767/1	0.312	0.032	
44	767/2	0.312		
45	766	0.299	0.017	
46	765	0.397	0.001	
47	770	0.073	0.002	
48	769/1	0.012		
49	769/2	0.012	0.004	
50	769/3	0.012		
51	771	0.049	0.003	
52	772	0.579	0.020	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	52 किता	15.638	0.267
1		673	1.218	0.006
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	1 किता	1.218	0.006
	अ + ब का योग-	कुल 53 किता	16.856	0.273

क्रमांक 233-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-मझियार, पटवारी हल्का-09 टेगना, रा.नि.म.-बड़वार, तहसील-रामनगर	263/302	0.024	0.002
2		263/1	0.797	0.025
3		263/2	0.401	
4		279	0.113	0.002
5		238/1	0.313	0.018
6		238/2	0.153	
7		242/1	0.162	0.008
8		242/2	0.081	
9		243	0.729	0.025
10		223	0.206	0.010
11		222	0.393	0.016
12		216/1/1/क/1	0.190	0.017
13		216/1/1/क/3	0.065	
14		216/1/1/ख	0.510	
15		216/1/2	0.409	

16	216/1/क/1/क/1	0.068	0.017	
17	216/1/क/2	0.065		
18	216/1/ख/1	0.510		
19	216/2	0.214		
20	216/294/1/ख	0.060		
21	216/294/1/ग	0.028	0.013	
22	216/294/2	0.142		
23	160	0.061	0.001	
24	193	0.117	0.011	
25	193/2	0.060		
26	191	0.134	0.002	
27	192	0.089	0.009	
28	199	0.154	0.002	
29	200	0.849	0.032	
30	201/1	0.025	0.003	
31	201/2	0.024		
32	202/1	0.064	0.003	
33	202/2	0.163		
34	207/1	0.027	0.004	
35	207/2	0.026		
36	208/1	0.506	0.011	
37	208/2	0.502		
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	37 किता	8.434	0.214
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	0 किता	0.000	0.000
	अ + ब का योग-	कुल 37 किता	8.434	0.214

क्रमांक 234-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-खारा, पटवारी हल्का-02 खारा, रा.नि.म.-बड़वार, तहसील-रामनगर	364	0.379	0.006
2		362/1	0.028	0.010
3		362/2	0.028	
4		362/3	0.056	
5		362/4	0.056	
6		362/5	0.084	
7		362/6	0.084	0.003
8		365/1	0.113	
9		365/2	0.110	0.006
10		372/1/क	0.105	
11		372/1/ख	0.104	
12		372/2	0.040	0.004
13		373	0.194	
14		373/2	0.040	0.014
15		375/1	0.095	
16		375/2	0.095	0.011
17		408	0.652	
18		408/4	0.079	0.004
19		403	0.348	
20		405	0.332	0.016

21	404/1	0.058		
22	404/2	0.040		
23	404/3	0.116	0.013	
24	404/4	0.117		
25	404/5	0.173		
26	404/6	0.073		
27	415/1	0.340		
28	415/1/क	0.170		
29	415/1/ख	0.170		
30	415/2/क	0.158	0.026	
31	415/2/ख	0.188		
32	415/2/घ	0.188		
33	415/3/क	0.188		
34	614	0.202	0.009	
35	613	0.077	0.007	
36	612/1	0.129		
37	612/2	0.336	0.001	
38	612/3	0.170		
39	611/1	0.150	0.009	
40	611/2	0.150		
41	610/1	0.224	0.011	
42	610/2	0.123		
43	455	0.142	0.010	
44	458	0.243	0.009	
45	461	0.526	0.015	
46	462	0.034	0.001	
47	463	1.222		
48	463/3	0.076	0.014	
49	464	0.026	0.003	
50	465	0.429	0.011	
51	469	0.045	0.002	
52	470	0.987	0.019	
53	471	0.113	0.002	
54	472/1	0.101		
55	472/2	0.101	0.014	
56	472/3	0.097		
57	476/1	0.166		
58	476/2	0.177	0.020	
59	476/3	0.166		
60	475	0.713	0.002	
61	477	0.061	0.002	
62	478/1	0.312		
63	478/1/क	0.156	0.023	
64	478/1/घ	0.156		
65	478/2	0.615		
66	484	0.081	0.003	
67	485	0.295	0.009	
68	486	0.040	0.002	
69	487	0.431	0.017	
70	488	0.113	0.003	
71	534	2.110	0.030	
72	533	0.206	0.003	
73	493	0.660	0.010	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	73 किता	16.652	0.374
1		495	0.802	0.006
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	1 किता	0.802	0.006
	अ + ब का योग-	कुल 74 किता	17.454	0.380

क्रमांक 235-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-हरई, पटवारी हल्का- 06 हरई, रा.नि.म.-बड़वार, तहसील-रामनगर	725/747/1	0.158	0.025
2		725/747/2	0.255	
3		725/1/क	0.574	0.060
4		725/1/ख	0.283	
5		725/2	0.382	
6		725/746/1	0.045	0.001
7		725/746/2	0.049	
8		716/1	0.154	0.019
9		716/2	0.279	
10		717/1	0.032	0.004
11		717/2	0.028	
12		713	0.109	0.006
13		719/1	0.148	
14		719/2	0.148	0.025
15		719/3	0.148	
16		720/1	0.099	
17		720/2	0.099	0.001
18		720/3	0.099	
19		711/1	0.175	
20		711/2	0.176	0.013
21		711/3	0.175	
22		697/1/क/1	0.108	
23		697/1/क/2	0.118	0.002
24		697/1/ख	0.113	
25		697/2	0.348	
26		698/1/क	0.096	0.019
27		698/1/ख	0.357	

28	698/1/ग	0.392	
29	698/2	0.143	
30	699/1	0.296	0.017
31	699/2	0.036	
32	622/736	0.243	0.004
33	594/1	0.004	0.008
34	594/2	0.437	
35	535/1/क	0.064	
36	535/1/ख	0.065	0.003
37	535/1/ग	0.065	
38	535/2	0.299	
39	534/1	0.036	
40	534/2	0.036	0.006
41	534/3	0.032	
42	532	0.154	0.013
43	531/1/क	0.016	
44	531/1/ख	0.024	
45	531/1/ग	0.023	0.004
46	531/1/घ	0.022	
47	531/2	0.028	
48	530/1/क	0.229	
49	530/1/ख	0.394	
50	530/1/ग	0.203	0.030
51	530/1/घ	0.202	
52	530/2	0.344	
53	473	0.247	0.004
54	218	1.659	0.026
55	219	1.068	0.021
56	220	0.032	0.004
57	221	0.186	0.004
58	216/1	0.284	0.011
59	216/2	0.238	
60	213/1	0.724	0.017
61	213/2	0.360	
62	211/1	0.012	
63	211/2	0.012	0.002
64	211/3	0.008	
65	211/4	0.028	
66	212/1	0.028	
67	212/2	0.028	0.005
68	212/3	0.033	
69	212/4	0.053	
70	40/1/क	0.077	
71	40/1/ख	0.073	0.004
72	40/1/ग	0.073	
73	40/2	0.061	
74	39	0.049	0.005
75	38/1/क/1	0.222	
76	38/1/क/2	0.724	
77	38/1/ख/1/क	0.638	0.047
78	38/1/ख/1/ख	0.081	
79	38/1/ख/2	0.769	

80	38/1/ख/3/क	0.016	
81	38/1/ख/3/ख	0.754	
82	38/2	0.328	
83	38/3	0.854	
84	37/1	0.324	0.007
85	37/2	0.012	
86	31	0.514	0.011
87	32/1	0.101	0.037
88	32/2	1.145	
89	33/1/क	0.214	
90	33/1/ख	0.109	
91	33/1/ग	0.164	0.003
92	33/1/घ	0.165	
93	33/2	0.218	
94	715/1	0.190	0.026
95	715/2	0.190	
96	714	0.858	0.027
97	710	0.587	0.020
98	701	0.267	0.018
99	702	0.162	0.011
100	617/1/क	0.303	
101	617/1/ख	0.151	0.018
102	617/2	0.239	
103	616/1	0.210	0.024
104	616/2	0.425	
105	615	0.065	0.003
106	613/1/क	0.092	
107	613/1/ख	0.106	0.015
108	613/2	0.198	
109	613/3	0.199	
110	602/1/क	0.421	
111	602/1/ख	0.089	0.044
112	602/2	0.510	
113	614/1/क	0.016	
114	614/1/ख	0.016	0.009
115	614/2	0.032	
116	614/3	0.033	
117	606	0.028	0.002
118	591/1	0.073	0.005
119	591/2	0.202	
120	588/1	0.249	
121	588/2	0.296	0.027
122	588/3	0.296	
123	573/1	0.110	
124	573/2	0.109	0.019
125	573/3	0.109	
126	574/1/क/1/1	0.321	
127	574/1/क/1/ख	0.112	0.042
128	574/1/क/2/क	0.108	
129	574/1/ख	0.546	

130	574/1/ख/2/ग	0.108	
131	574/1/ग	0.045	
132	574/2	0.081	
133	562	0.356	0.020
134	446/1	0.049	0.002
135	446/2	0.016	
136	445/1	0.405	0.019
137	445/2	0.134	
138	444/1	0.012	0.003
139	444/2	0.012	
140	317	0.632	0.020
141	319	0.150	0.003
142	443/1	0.186	0.020
143	443/2	0.186	
144	432	0.109	0.007
145	367	0.291	0.015
146	307/1/क	0.042	0.001
147	307/1/ख	0.052	
148	307/2	0.214	
149	318	0.445	0.010
150	327	0.417	0.015
151	324	0.028	0.001
152	325	0.482	0.012
153	602/735/1/क/0001	0.053	0.007
154	602/735/1/क/0002	0.052	
155	602/735/1/क/0003	0.049	
156	602/735/1/ख	0.154	
157	602/735/2	0.158	
158	590/1	0.020	0.024
159	590/2	0.028	
160	590/3	0.049	
161	569/1/क	0.465	0.001
162	569/1/ख	0.781	
163	569/1/ग	1.214	
164	569/2	0.344	
165	734		0.007
166	431	0.016	0.003
167	430	0.202	0.013
168	429	0.158	0.013
169	368	0.206	0.009
170	305/1	0.053	0.012

171		305/2	0.008	
172		304/1	0.030	0.009
173		304/2	0.002	
174		310	0.109	0.012
175		323	0.012	0.003
176		322/1	0.008	
177		322/2/क	0.004	0.002
178		322/3	0.008	
179		322/4/ख	0.004	
180		322/5	0.008	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	180 किता	37.792	1.041
1		733	1.578	0.030
2		622/1	0.539	
3		622/2/क	0.020	0.023
4		622/2/ख	0.020	
5		622/2/ग	0.020	
6		622/2/घ	0.020	
7		622/2/ङ	0.020	
8		623/1	0.332	
9		623/2/क	0.052	0.016
10		623/2/ख	0.049	
11		623/2/ग	0.052	
12		623/2/घ	0.053	
13		623/2/ङ	0.053	
14		597	0.644	0.014
15		596	0.421	0.016
16		595	0.364	0.010
17		592	8.377	0.050
18		61	0.263	0.007
19		57	0.049	0.005
20		58	0.057	0.004
21		60	0.150	0.009
	(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-	21 किता	13.133	0.184
	अ + ब का योग-	कुल 201 किता	50.925	1.225

क्रमांक 236-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-बाबूपुर, पटवारी हल्का-बाबूपुर, रा.नि.मं.-बड़वार, तह.- रामनगर	411	1.011	0.042
2		410	0.061	0.003
3		409	1.073	0.045
4		408/1	0.016	0.003
5		408/2	0.016	
6		408/3/क	0.016	
7		408/3/ख/1	0.006	
8		408/3/ख/2	0.007	0.029
9		406/502	0.526	
10		397/1/क	0.284	
11		397/1/ख	0.284	0.006
12		397/2	0.575	0.008
13		407	0.405	
14		392/1	1.245	0.019
15		392/2/क	0.838	
16		392/2/ख	0.405	
17		392/3	1.243	
18		394	0.045	0.002

19	395	0.749	0.034
20	350/1/क	0.057	0.002
21	350/1/ख	0.057	
22	350/2	0.020	
23	351/1/क	0.369	0.003
24	351/1/ख	0.368	
25	351/2	0.016	
26	352/1/क	0.041	0.005
27	352/1/ख	0.040	
28	352/2	0.080	
29	353/1/क	0.720	0.031
30	353/1/ख	0.716	
31	353/2/क	0.718	
32	353/2/ख	0.719	
33	330/1/क/1	0.242	0.005
34	330/1/क/2	0.244	
35	330/1/ख	0.348	
36	330/1/ग/1	0.124	
37	330/1/ग/2	0.112	
38	330/1/ग/3	0.112	
39	329/1/क/1	0.029	0.013
40	329/1/क/2/1	0.014	
41	329/1/क/2/2	0.014	
42	329/1/क/3	0.024	
43	329/1/ख/1	0.009	
44	329/1/ख/2	0.010	
45	329/1/ख/3	0.010	
46	329/1/ग/1	0.010	
47	329/1/ग/2	0.009	
48	329/1/ग/3	0.009	
49	329/1/घ	0.024	
50	329/1/ङ/1	0.004	
51	329/1/ङ/2	0.004	
52	329/1/ङ/3	0.004	
53	329/1/च	0.012	
54	329/1/छ	0.028	
55	329/1/ज	0.029	
56	329/2	0.085	
57	329/495	0.052	0.009
58	328/1	0.356	0.018
59	328/2	0.089	

60		239/1	0.125	0.032
61		239/2	0.129	
62		239/3	0.255	
63		239/4	0.255	
64		239/5	0.259	
65		13/1	0.397	0.030
66		13/2	0.405	
67		3	0.757	0.025
68		4/1	2.740	0.028
69		4/2	0.202	
70		4/448	2.023	0.048
71		5/445	0.061	0.002
72		7	1.193	0.088
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	72 किता	23.534	0.530
1		238	1.668	0.026
2		47/447	1.457	0.012
3		237	0.206	0.007
	(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-	3 किता	3.331	0.045
	अ + ब का योग-	75 किता	26.865	0.575

क्रमांक 237-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-वेलहा, पटवारी हल्का-वाबूपुर, रा.नि.म.-बड़वार, तहसील-रामनगर	20/1	0.405	0.017
2		20/2	0.295	
3		15	0.644	0.019
4		12/1	0.454	0.028
5		12/2	0.450	
6		10/1	0.358	0.023
7		10/2	0.354	
8		9	0.053	0.004
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	8 किता	3.013	0.091
1		1	1.149	0.024
	(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-	1 किता	1.149	0.024
	अ + ब का योग-	कुल 9 किता	4.162	0.115

क्रमांक 238-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-कुचलेवा, पटवारी हल्का-वाबूपुर, रा.नि.म.-बड़वार, तहसील-रामनगर	25/1/क	0.061	0.008
2		25/1/ख	0.056	
3		25/2	0.117	
4		22/1/क	0.028	0.004
5		22/1/ख	0.029	
6		22/2	0.056	
7		21/1/क	0.748	0.045
8		21/1/ख	0.474	
9		21/1/ग	0.182	
10		21/2	0.870	
11		6/1/क/1	1.040	0.063
12		6/1/क/2	0.101	
13		6/1/ख/1	0.148	
14		6/1/ख/2	0.148	
15		6/1/ख/3	0.149	
16		6/1/ग/1	0.133	
17		6/1/ग/2	0.474	
18		6/2	0.304	
19		6/3	0.121	
20		7	0.251	
21		5	0.174	0.001
22		1	0.089	0.002
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	22 किता	5.753	0.131
1		27	0.405	0.007
	(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-	1 किता	0.405	0.007
	अ + ब का योग-	कुल 23 किता	6.158	0.138

क्रमांक 239-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-मोहनी, पटवारी हल्का-बाबूपुर, रा.नि.म.-बड़वार, तहसील-रामनगर	134	0.045	0.003
2		135/1/क	0.147	0.032
3		135/1/ख	0.147	
4		135/1/ग	0.147	
5		135/2	0.441	
6		136/1	0.016	0.002
7		136/2	0.024	
8		136/3	0.017	
9		137/1	0.176	0.021
10		137/2	0.175	
11		137/3	0.175	
12		138/1/क	0.201	0.032
13		138/1/ख	0.201	
14		138/1/ग	0.201	
15		138/2	0.304	0.120
16		127, 123	5.918	
17		147/1	0.376	0.005
18		147/2	0.380	
19		150/1	0.401	0.026
20		150/2	0.405	
21		151/1	0.202	0.022
22		151/2	0.202	
23		152/1	0.198	0.014
24		152/2	0.202	
25		153	0.356	0.022
26		156	1.481	0.007
27		180	1.372	0.023
28		181	0.129	0.004
29		182/1	0.085	0.002
30		182/2/क	0.077	
31		182/2/ख	0.077	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	31 किता	14.278	0.335
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-		0.000	0.000
	अ + ब का योग-	कुल 31 किता	14.278	0.335

क्रमांक 240-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-बटैया, पटवारी हल्का-14 चंदवार, रा.नि.म.-बड़वार, तहसील-रामनगर	206/1	0.302	0.021
2		206/2	0.301	
3		204/1/क	0.405	0.053
4		204/1/ख	1.991	
5		204/1/ग	1.687	
6		204/2/1	2.505	
7		204/2/2	1.579	
8		213/734/1	0.603	0.004
9		213/734/2	1.202	
10		214/1/क	0.405	0.060
11		214/1/ख	0.339	
12		214/1/ग	0.024	
13		214/2 2	1.000	
14		214/3	1.001	
15		200	1.635	0.034
16		199/2	1.052	0.009
17		95/1/क/1	0.368	0.048
18		95/1/क/2	0.156	
19		95/1/ख	0.523	
20		95/1/ग	1.046	
21		95/2	0.782	

22		94	1.684	0.013
23		96/1/क	0.562	0.034
24		96/1/ख	0.562	
25		96/2	0.065	
26		108/1	0.166	0.040
27		108/2/क	0.457	
28		108/2/ख	0.457	
29		108/2/ग	0.045	
30		107/1/1	0.711	0.023
31		107/1/2/क	0.202	
32		107/1/2/ख	0.248	
33		107/2	0.385	0.006
34		111/1	0.190	
35		111/2	0.012	0.034
36		112/1	0.902	
37		112/2	0.150	
38		112/3	0.150	
39		112/4	0.300	0.028
40		140	0.761	
41		139	2.073	0.013
42		141	1.250	0.027
43		143/1	0.348	0.020
44		143/2/क	0.203	
45		143/2/ख	0.202	
46		144/1	0.202	0.010
47		144/2	0.238	
48		144/3/क	0.365	
49		144/3/ख	0.364	
50		145/1	0.158	0.003
51		145/2/क	0.040	
52		145/2/ख	0.041	
53		146	0.057	0.003
54		150/1	0.097	0.003
55		150/2	0.020	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	55 किता	32.573	0.486
1		207	0.312	0.002
2		201	0.356	0.003
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	2 किता	0.668	0.005
	अ + ब का योग-	कुल 57 किता	33.241	0.491

क्रमांक 241-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5, सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-भरतपुर, पटवारी हल्का-भरतपुर, रा.नि.म.-बड़वार, तहसील-रामनगर	287	1.173	0.024
2		286	0.065	0.002
3		285	3.464	0.046
4		284	0.227	0.010
5		282	0.178	0.016
6		281	0.129	0.004
7		280/1/क	0.150	0.022
8		280/1/ख	0.150	
9		280/2	0.150	
10		306	0.247	0.006
11		308	0.162	0.011
12		307	0.214	0.012
13		339	0.421	0.017
14		340	0.692	0.002
15		338/1	0.595	

16		338/2	0.591	0.046
17		338/3	0.045	
18		338/4	0.045	
19		320	0.186	0.008
20		330	2.816	0.022
21		329/1/1/1	0.016	0.005
22		329/1/1/2	0.020	
23		329/1/2	0.036	
24		329/1/3	0.036	
25		329/2/1/1	0.024	
26		329/2/1/2	0.020	
27		329/2/2	0.044	
28		329/2/3	0.048	0.044
29		326/1/1/1	0.160	
30		326/1/1/2	0.177	
31		326/1/2	0.363	
32		326/1/3	0.363	
33		326/2/1/1	0.362	
34		326/2/1/2	0.362	
35		326/2/2	0.726	
36		326/2/3	0.725	
37		327	0.134	
38		158	3.476	0.036
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	38 कित्ता	18.792	0.340
1		290	0.251	0.003
2		321	0.162	0.012
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	2 कित्ता	0.413	0.015
	अ + ब का योग-	कुल 40 कित्ता	19.205	0.355

क्रमांक 242-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-पोडिया, पटवारी हल्का-भरतपुर, रा.नि.म.-बड़वार, तहसील-रामनगर	103/1	0.687	0.018
2		103/2	0.405	
3		104	0.437	
4		105/1/क	0.347	0.022
5		105/1/ख	0.086	
6		105/2	0.433	
7		105/3	0.867	
8		107/1/क/1/क/0 001	0.092	0.089
9		107/1/क/1/क/0 002	0.202	
10		107/1/क/1/ख	0.648	
11		107/1/क/2	1.214	
12		107/1/ख/1/क	0.405	
13		107/1/ख/1/ख	0.405	
14		107/1/ख/1/ग	0.738	
15		107/1/ख/2	0.405	
16		107/1/ख/3	0.202	
17		107/2/क/1	0.938	
18		107/2/क/2	1.214	
19		107/2/ख	1.077	
20		107/2/ग	1.081	

21	134/1/क	0.070	0.017	
22	134/1/ख	0.071		
23	134/2/क	0.069		
24	134/2/ख	0.068		
25	134/3	0.137		
26	132/1	0.065	0.009	
27	132/2	0.065		
28	132/3	0.065		
29	133/1/क	0.588	0.020	
30	133/1/ख	0.588		
31	133/1/ग	0.589		
32	133/2	0.020		
33	133/3	0.020		
34	130/1	0.234	0.001	
35	130/2	0.234		
36	130/3	0.234		
37	139/1	0.971	0.053	
38	139/2	0.101		
39	139/3	1.234		
40	139/4	1.234		
41	139/5	1.238		
42	139/6	1.234		
43	41/160	1.457	0.002	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	43 किता	22.469	0.241
1		140	0.174	0.003
	(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-	1 किता	0.174	0.003
	अ + ब का योग-	कुल 44 किता	22.643	0.244

क्रमांक 243-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-रासा देवरा, पटवारी हल्का-मसमासी, रा.नि.म.-बड़वार, तहसील-रामनगर	12/1	0.831	0.007
2		12/2	0.831	
3		12/3	0.830	
4		11	1.558	
5		2	0.652	
6		3	0.539	
7		4/1	0.023	
8		4/2	0.023	
9		4/3	0.023	
10		4/4	0.013	
11		4/5	0.013	
12		4/6	0.013	
13		4/7	0.013	
14		4/8	0.013	
15		4/9	0.044	
16		4/10	0.022	
17		4/11	0.022	
18		4/12	0.044	
19		4/13	0.067	
20		4/14	0.066	
21		4/15	0.033	
22		4/16	0.033	
23		4/17	0.033	
24		4/18	0.033	0.017
25		4/19/1	0.079	
26		4/19/2	0.057	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	26 किता	5.908	0.104
1		28	0.045	0.002
	(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-	1 किता	0.045	0.002
	अ + ब का योग-	कुल 27 किता	5.953	0.106

क्रमांक 244-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-हरदुवा जागीर, पटवारी हल्का-बम्हनाड़ी रा.नि.म.-बड़वार, तहसील-रामनगर	3/1	1.579	0.026
2		3/1/क	1.578	
3		3/1/ख	1.578	
4		3/1/ग	1.578	
5		3/1/घ	1.578	
6		3/2	1.578	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	6 किता	9.469	0.026
1		1	0.134	0.002
	(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-	1 किता	0.134	0.002
	अ + ब का योग-	कुल 7 किता	9.603	0.028

क्रमांक 245-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-मिटारी, पटवारी हल्का-मिटारी, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर	512/1	0.530	0.014
2		512/2/क	0.506	
3		512/2/ख	0.506	
4		525/1/क	0.145	0.029
5		525/1/ख	0.225	
6		525/2	0.293	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	6 किता	1.193	0.043
1		526	0.267	0.012
	(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-	1 किता	0.267	0.012
	अ + ब का योग-	कुल 7 किता	1.460	0.055

क्रमांक 246-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	4	5	6
1	ग्राम-करौंदिया, पटवारी हल्का-31 भिटारी, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर	64	0.233	0.027
2		64/1	0.073	
3		64/2	0.069	
4		64/3	0.073	
5		64/4	0.233	
6		64/5	0.237	
7		65/1	0.008	0.002
8		65/2	0.004	
9		65/3	0.008	
10		65/4	0.012	
11		65/5	0.008	
12		66	0.922	0.018
13		54/1/1	0.165	0.014
14		54/1/2	0.411	
15		54/2	0.576	
16		55/1/1	0.044	0.011
17		55/1/2	0.105	
18		55/2	0.150	
19		51	0.069	0.002
20		50/1	0.239	0.006
21		50/2	0.085	
22		49	0.057	0.002
23		48/1	0.941	0.025
24		48/2	0.941	
25		97/1	0.065	0.003
26		97/2	0.065	

182

27		98/1	0.202	0.021
28		98/2	0.202	
29		98/3	0.202	
30		108	0.583	0.002
31		107	0.255	0.011
32		106	1.700	0.026
33		109/1/क	0.101	0.015
34		109/1/ख	0.687	
35		109/1/ग	0.081	
36		109/1/घ	0.709	
37		109/2	0.309	0.004
38		110/1	0.045	
39		110/2	0.024	
40		110/3	0.020	0.032
41		166/1	1.062	
42		166/2	1.064	
43		166/3	1.062	
44		166/4	1.062	
45		166/5	2.121	
46		166/6	2.121	0.009
47		132	0.186	
48		136	0.235	
49		135	0.150	0.006
50		138/1	1.214	0.042
51		138/2	1.214	
52		145	0.785	0.007
53		153/1	0.283	0.012
54		153/2	0.283	
55		153/3	0.283	
56		153/4	0.284	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	56 किता	24.322	0.302
1		146	1.414	0.003
2		151	2.201	0.013
3		155	1.943	0.005
	(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-	3 किता	5.558	0.021
	अ + ब का योग-	कुल 59 किता	29.880	0.323

क्रमांक 247-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	
1	ग्राम-गिधेली, पटवारी हल्का-27 गिधेला, रा.नि.मं.-रामनगर, तहसील-रामनगर	53/91	0.316	0.014	
2		55/1	0.065	0.003	
3		55/2	0.032		
4		55/3	0.032		
5		56/1	0.546	0.032	
6		56/2	0.793		
7		56/3	0.789		
8		58/1	0.545	0.016	
9		58/2	0.600	0.019	
10		59/98	0.587		
11		59/1	0.664		
12		59/2	0.000	0.047	
13		59/2/क	0.179		
14		59/2/ख	0.500		
15		38/113	0.947	0.004	
16		38/113/1	0.463		
17		38/113/2	0.745		
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	17 किता	7.803	0.135	
1		50	1.676	0.006	
2		49	0.458	0.009	
3		48/1	0.061	0.005	
4		48/2	0.060		
5		48/3	0.028		
6		47/1	0.558	0.012	
7		47/2	0.558		
8		47/3	0.604		
9		54	0.482	0.006	
10		53	0.437	0.017	
11		52	2.707	0.021	
12		38/114/2	0.101	0.005	
13		88	0.466	0.004	
		(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-	13 किता	8.196	0.085
		अ + ब का योग-	कुल 30 किता	15.999	0.220

एच. के. धुर्वे, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 82-अ-82-भू-अर्जन-उ. म. रे.-17-18-8036/2

मुरैना, दिनांक 18 जुलाई 2019

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत])

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-बोलाज 40ह0क0-...०.२... रा0नि0 वृत्-...०.1. तहसील -सवलगढ़ उपखण्ड-सवलगढ़ जिला-मुरैना में कुल 0.887 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- बोलाज, 40ह0क0-...०.२... रा0नि0 वृत्-...०.1... तहसील- सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	सवलगढ़
ग. ग्राम	बोलाज
घ. लगभग क्षेत्रफल	0.887 हेक्टेयर
भूमि का विस्तृत ब्योरा निम्नलिखित है:-	

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	193	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.140	0.152	करनसिंह पुत्र गुलाब 83/114 विजयसिंह पुत्र करन हि0 31/114 जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी
2	194	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.050	0.050	नकटू पुत्र शिवलाल जाति काछी नि0 ग्राम शासकीय पट्टेदार।
3	195	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.400	0.020	रामनाथ पाति पुत्र मुल्ला जाति रावत एवं विद्या पत्नि परसराम जाति रावत नि0 ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।
4	197	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.250	0.061	मातादीन रामदास आ0 महीपति सरूपी बाबूली मिथलेश पुत्रीयां महीपति समान भाग 4/9 सुन्दरि पुत्री गोकुला भाग 1/9 मोतीलाल अमृतलाल रामलखन रामरूप पुत्रगण अंगद मोतीबाई सुआबाई

						पुत्रियां अंगद समान भाग 6/7 रामपती कमला बेवा लाखन देशराज मंघराज पुत्रगण लाखन समान भाग 1/7 दर भाग 1/9 काशीप्रसाद पुत्र हीरा सावित्री पुत्री हीरा समान भाग 1/3 जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
5	199	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.640	0.005	मोहनलाल पुत्र मुल्ला जाति ब्राम्हण पता नि0 ग्राम कैमारकला भूमिस्वामी।
6	215	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.630	0.008	मु0 तोफी बेवा भारत जाति बंजारा नि0 ग्राम शासकीय पट्टेदार।
7	216	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.770	0.095	नारायणी पत्नी गोपाल हि0 25/135 नि0 गोदोली रामजीलाल रामदयाल पुत्रगण रामचरनलाल समान हि0 42/135 मातादीन रामदास आ0 महीपति सरूपी बाबूली मिथलेश पुत्रियां महीपति समान भाग 1/2 जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
8	222	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.510	0.090	मोतीलाल, अमृतलाल, रामलखन, रामरूप पुत्रगण अंगद मोतीबाई सुआबाई पुत्रियां अंगद भाग 6/7 मु0 रामपती मु0 कमला बेवा लाखन देशराज मेघराज नाबा0 पुत्रगण लाखन सर0 मां कमला स्वयं समान भाग 1/7 जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
9	252	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	2.380	0.153	शाहबुद्दीन बा0 वीरुद्दीन, गबरुद्दीन नाबा0 पुत्रगण गुलाब सर0 पिता खुद समान भाग 67/238 अलाबक्श बा. इन्साफअली रज्जाक असगर अली नाबा0 आ बब्बूखा, सर पिता खुद समान भाग 66/238 शहजादखां मुनीमखां पुत्रगण सलीमखां समान भाग 13/238 जफरुद्दीनखां पुत्र सलीमखां भाग 22/238 जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी पवन पुत्र मुन्नालाल हि0 31/238 जाति रावत नि0 पुराना जौरा तह. जौरा, मुनीम खा पुत्र सलीम खों हि0 39/238 जाति गूजर निवासी ग्राम बालाकातोर।
10	253	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	4.330	0.166	रामजी पुत्र छीतरियां हि0 1/3 रामबाबू पुत्र गुलाब हि0 1/3 अमृतलाल पुत्र अंगद हि0 1/3 जाति रावत नि0

						मानपुर।
11.	254/ 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	2.580	0.087	शोभा वेवा गुलाब खां वीरुद्दीन सयुद्दीन गवुरुद्दीन पुत्रगण गुलाब खां बत्तो रस्सो पुत्रीयां गुलाब खां समान भाग 1/3 बब्बू खां सलीम खां पुत्रगण बंशी खां समान भाग 2/3 जाति मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
कुल किता 11					0.887 है०	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उदभूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विषेय :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे

प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 45-अ-82-17-18-भू-अर्जन-19-5215

सागर, दिनांक 3 जुलाई 2019

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु पद(2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS-MS/MPPCB/SEAC-I/TOR(283)/2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26/10/2020 तक वैध है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत बेरखेड़ी मड़िया माईनर नंबर-8 एवं 9 नहर निर्माण
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : बेरखेड़ी मड़िया
 4. पट.ह.नं.- : 133
 5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल : 6.516 है.

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
बेरखेड़ी मड़िया माईनर नंबर-8						
1	डॉ. दुर्गाप्रसाद पिता रामकल्प चौबे साकिन यादव कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर	भूमिस्वामी	191/1	1.270	0.240	
		भूमिस्वामी	191/2	1.210		
2	डॉ. दुर्गाप्रसाद पिता रामकल्प चौबे साकिन यादव कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर	भूमिस्वामी	192/1	0.350	0.134	
3	विनीता कुमार पिता डॉ. दुर्गा प्रसाद चौबे पता सा. यादव कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर	भूमिस्वामी	192/2	0.800		
4	सुहागरानी पति नन्हेमाई पता सा. सींगना	भूमिस्वामी	193/1	2.710	0.605	
5	ज्योति पति गोविन्द पता सा. सींगना	भूमिस्वामी	193/2	2.600		
6	जगन्नाथ वल्द कुदरु दुलारी बेवा डेलनसीग सेमरावारी बेवा प्रहलादसीग साकिन सींगना	भूमिस्वामी	190/1	0.150	0.211	
7	हमीर सींग पिता कुदरु साकिन देह	भूमिस्वामी	190/2	0.690		
8	अशोककुमार पिता दामोदर प्रसाद कुसुमबाई पति अशोककुमार पता सागर	भूमिस्वामी	190/3	0.290		
		भूमिस्वामी	190/4	0.910		
9	जगन्नाथ वल्द कुदरु साकिन सींगना	भूमिस्वामी	189	3.010	0.278	
10	भरत बल्द नन्ना साकिन सींगना	भूमिस्वामी	188/1	0.710	0.192	
11	महताब बल्द नन्ना साकिन सींगना	भूमिस्वामी	188/2	0.700		
12	रूपसीग बल्द नन्ना साकिन सींगना	भूमिस्वामी	188/3	0.200		
13	रामरानी बेवा नन्ना घसीटीबाई ज्ञानबाई पुत्रियां नन्ना साकिन सींगना	भूमिस्वामी	188/4	1.200		

2

14	रामसेवक अमोल पिस. मुन्ना साकिन सीगना	भूमिस्वामी	187/1	0.410	0.979
15	अशोक वल्द खेतसीग साकिन सीगना	भूमिस्वामी	187/2	1.200	
		भूमिस्वामी	187/3	0.400	
		भूमिस्वामी	187/7	0.410	
		भूमिस्वामी	187/4	0.400	
16	लालसीग वल्द गुल्ले साकिन सीगना	भूमिस्वामी	187/4	0.400	
		भूमिस्वामी	187/5	0.610	
17	कुन्दनलाल वल्द कलू साकिन सीगना	भूमिस्वामी	187/6	0.410	
		भूमिस्वामी	187/11	1.000	
18	मुन्नालाल वल्द खेतसीग साकिन सीगना	भूमिस्वामी	187/8	0.610	
		भूमिस्वामी	187/9	0.400	
		भूमिस्वामी	187/10	0.600	
19	सुनील बल्द प्यारेलाल साकिन सीगना	भूमिस्वामी	187/12	0.400	
20	प्यारेलाल बल्द खेतसीग साकिन सीगना	भूमिस्वामी	187/13	0.400	
21	बालचंद पिता गुल्ले बसारे सीगना	भूमिस्वामी	187/14	0.400	
22	पूर्णब्रह्मसिंह पिता पारब्रह्मसिंह, नीलेशसिंह उर्फ नितेन्द्र सिंह पिता अवधकिशोर सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	186/2	1.320	0.429
23	पहलवान सिंह बल्द धरमसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	186/3	5.090	
24	राहुल नाबालिग पिता हिम्मत वली माँ आशारानी पति हिम्मत साकिन सीगना	भूमिस्वामी	98/1	1.200	0.274
25	सोनू नाया पिता हिम्मत वली गा. आशारानी पति हिम्मत साकिन सीगना	भूमिस्वामी	98/2	1.200	
26	मोनू नाया पिता हिम्मत वली माँ आशारानी पति हिम्मत साकिन सीगना	भूमिस्वामी	98/3	1.200	
27	भरत बल्द नन्ना साकिन सीगना	भूमिस्वामी	100/1	1.660	0.120
28	महताब बल्द नन्ना सीगना	भूमिस्वामी	100/2	1.670	
बेरखेड़ी मड़िया माईनर नंबर-9					
29	श्री दबी दुगा जी मुह. महाराज सीग वल्द धरमसीग साकिन देह	भूमिस्वामी	241/1	5.250	0.456
30	इशरार अहमद सिद्दीकी पिता सहाबुद्दीन साकिन खिरसाडोह परासिया जिला छिंदवाड़ा	भूमिस्वामी	237/1	1.360	0.306
31	भागीरथ पिता पुन्ना साकिन देह	भूमिस्वामी	237/2	0.300	0.286
32	भागीरथ पिता पुन्ना साकिन देह	भूमिस्वामी	224/1	0.240	
33	इशरार अहमद सिद्दीकी पिता सहाबुद्दीन साकिन खिरसाडोह परासिया जिला छिंदवाड़ा	भूमिस्वामी	224/2	0.140	
		भूमिस्वामी	224/3	0.160	
34	इशरार अहमद बल्द सहाबुद्दीन सिद्दीकी खिरसाडोहतहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा	भूमिस्वामी	223	1.910	0.125
35	लीलावती पत्नि इन्द्राज सिंह साकिन बादरी	भूमिस्वामी	222	0.610	0.250
36	तखत पिता भबूरे साकिन देह	भूमिस्वामी	220/1	0.400	0.360
37	डॉ. रामानुज पिता शिवराम गुप्ता साकिन मोतीनगर वाई सागर	भूमिस्वामी	220/2	2.450	
38	गुरभिन्दरसिंह पिता धरमसिंह साकिन सराफा बाजार सागर	भूमिस्वामी	220/3	1.000	
		भूमिस्वामी	220/4	0.500	
39	प्रहलाद वल्द तेजसीग साकिन देह	भूमिस्वामी	228	0.880	0.020
40	करैयावारी उर्फ कोसाबाई पति मूरतसीग साकिन देह	भूमिस्वामी	225	1.120	0.029
41	श्री राम बल्द निरभेसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	230	2.100	0.015
42	राजू पिता महादेव साकिन देह	भूमिस्वामी	219/1	0.130	
43	संतोष पिता रामदयाल साकिन देह	भूमिस्वामी	219/2	0.130	
44	शिवलाल पिता जगदीश साकिन देह	भूमिस्वामी	219/3	0.140	
45	शालकराम रमेश पिता गोविन्दसीग साकिन सीगना	भूमिस्वामी	218/1	3.230	0.362
46	सौरभ पिता कृष्णकुमार ऋषभ नाया पिता व बली कृष्णकुमार पिता दागोदर सा. देह	भूमिस्वामी	218/2	2.000	0.032
47	हरनाम, श्री राम बल्द निर्भय सीग द्रौपतीबाई वेवा निर्भय सीग साकिन देह	भूमिस्वामी	217	3.100	

3

48	मोहन कल्लू पिस. डोमन साकिन देह	भूमिस्वामी	216/1	1.820	0.792
49	कलू पिता डोमन साकिन देह	भूमिस्वामी	216/2	1.820	
50	मुलावाई उर्फ स्वराजराणी वेया डोमन साकिन देह	भूमिस्वामी	216/3	1.820	
योग:-			60	70.400	6.516

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 50-अ-82-17-18-भू-अर्जन-19-5217

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु पद(2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पदने की संभावना है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS-MS/MPPCB/SEAC-I/TOR(283)/2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26/10/2020 तक वैध है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहाँ पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहाँ इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत सींगना माईनर नंबर-6, 7 एवं 8 नहर निर्माण
- (2) भूमि का विवरण :
1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : सींगना
 4. पट.ह.नं.- : 131
 5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल : 7.636 हे.

सं. क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता एवं पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा (हेक्टर में)	अर्जित रकवा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
सींगना माईनर नंबर-6						
1	गजराजसींग पिता खिलानसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	390	0.820	0.150	
2	सरोजरानी बेवा विन्दावन कमलेश माधव नावा. पिता विन्दावन वली मां सरोजरानी बेवा विन्दावन गीता बाई कुंवर बाई पिता विन्दावन बली मां सरोजरानी बेवा विन्दावन साकिन देह	भूमिस्वामी	391/1	1.090	0.192	
3	कमलेश माधव ना. वा. बल्द बुन्दावन गीताबाई कुंवरबाई ना. बा. पुत्री बुन्दावन वली आज्ञा गजराज बल्द खिलान सा. देह	भूमिस्वामी	391/2	0.550		
4	विन्दावन पिता हरप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	405	1.640	0.126	
5	रामस्वरूप संतोष पिस. माखन सिंह शीलरानी पति माखनसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	401	0.540	0.002	
6	मुकेश पिता अच्छेलाल साकिन औरिया	भूमिस्वामी	404	1.130	0.119	
7	शियारानी पति कन्छेदी साहू साकिन बरोदा सागर	भूमिस्वामी	407	1.140	0.543	
8	चतुर्गुज बल्द गुलाब साकिन देह	भूमिस्वामी	403	0.930	0.139	
9	छत्तरसींग पिता भगोनी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	408	1.480	0.461	
		भूमिस्वामी	473	0.770	0.063	
10	रमेश बल्द गुलाब साकिन देह	भूमिस्वामी	470	0.350	0.067	
		भूमिस्वामी	468	0.130	0.003	
11	रामदास पिता छत्तरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	471	0.410	0.154	
12	जावाहर पिता मन्गूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	472	0.780	0.135	

सीगना माईनर नंबर-7					
13	भागीरथ पिता हरीसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	365/1	1.260	0.269
14	राजाराम वल्द ललजू साकिन देह	भूमिस्वामी	365/2	0.410	
15	नरबदा पिता भागीरथ चढार साकिन देह	भूमिस्वामी	365/3	0.200	
16	हल्लाभाई पिता भागीरथ चढार साकिन देह	भूमिस्वामी	365/4	0.600	
17	कड़ोरी लटोरी पिता हल्का साकिन देह	भूमिस्वामी	370/1	0.830	0.384
18	गीताबाई पति गजराजसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	370/2	0.980	
19	रतन पिता कच्छेदी साकिन देह	भूमिस्वामी	372/1	0.600	0.007
20	लखन पिता कच्छेदी साकिन देह	भूमिस्वामी	372/2	0.630	
21	दशरथ पिता कच्छेदी साकिन देह	भूमिस्वामी	374/1	0.450	0.322
22	बिहारी पिता कच्छेदी साकिन देह	भूमिस्वामी	374/2	0.780	
23	शंकरसींग वल्द कगोदसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	375	0.220	0.456
24	रतन पिता कच्छेदी साकिन देह	भूमिस्वामी	373/1	0.660	0.408
25	लखन पिता कच्छेदी साकिन देह	भूमिस्वामी	373/2	0.630	
26	गैयालाल पिता कच्छेदी साकिन देह	भूमिस्वामी	373/3	1.260	
27	दशरथ पिता कच्छेदी साकिन देह	भूमिस्वामी	373/4	0.810	
28	कमल राजेश मोहन रामस्वरूप पिता मोती कुसुमरानी वेवा मोती साकिन देह	भूमिस्वामी	238	0.380	0.043
29	शेवप्रसाद भिट्टू रूपसींग पिता श्याम पूरन, हीराबाई, सरीबाई, गौतमबाई, मुन्गीबाई पुत्री पूरन, हेमराज, शिवराम पिता भगवानदास, तुलसा, जनकी पुत्री भगवानदास, सुखरानी वेवा गानसींग, रामवती, राधा, द्रोपती पुत्री दुर्जन साकिन देह	भूमिस्वामी	239	0.380	0.067
		भूमिस्वामी	324	0.650	0.072
		भूमिस्वामी	254	0.240	0.022
30	सीताराम कोमल खूबसींग हरीराम, चैनसींग पिता गिरधारी, प्रागबाई पुत्री गिरधारी, रामदुलैया वेवा गिरधारी, वंशी वल्द हिरऊ साकिन देह	भूमिस्वामी	253/1	0.510	0.039
31	मेदाबाई वेवा वशी माधवसींग पिता वशी प्यारीबाई पुत्री वशी, चन्द्रभान पल्दू हरिभजन बल्द रामराजा सावित्री पुत्री राजाराम रामरानी पति राजाराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	253/2	0.510	
32	सीताराम कोमल खूबसींग हरीराम, चैनसींग पिता गिरधारी, प्रागबाई पुत्री गिरधारी, रामदुलैया वेवा गिरधारी, वंशी वल्द हिरऊ साकिन देह	भूमिस्वामी	243	0.380	0.086
33	मरी पिता रागदयाल, पारवतीबाई पुत्री रागदयाल साकिन देह	भूमिस्वामी	240	0.420	0.072
34	दीपसींग पिता चित्तरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	244/1	0.090	0.024
35	खूबसींग बल्द नाथूराम साकिन देह	भूमिस्वामी	244/2	0.030	
36	दीपसींग पिता चित्तरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	247/1	0.260	0.226
37	खूबसींग बल्द नाथूराम साकिन देह	भूमिस्वामी	247/2	0.250	
38	भगवानसिंह पिता चित्तरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	247/3	0.250	
39	रामकिशन हनुमत पिस. गोले जानकीबाई भागबाई पुत्री गोले नन्हेभाई वल्द खुशाल प्यारेलाल वल्द खेतसींग दुलारी पति मूलचंद रूपसींग वल्द डोमन सुहागरानी पति नन्हेभाई मुन्ना वल्द खेतसींग लखन वल्द हनुमत साकिन देह	भूमिस्वामी	251	1.680	0.183
40	प्रहलाद सींग हरगोविन्द शंकर सिंह पिस. कमोद सींग गीताबाई पुत्री कमोदसिंह रानी वेवा कगोद सिंह लखनसिंह रगवीरसिंह भूपत सिंह, लक्ष्मीसिंह पिता ग्याप्रसाद, बेनीबाई, शांतिबाई, बैजन्तीबाई, लीलाबाई पुत्री ग्याप्रसाद, सुहागरानी वेवा ग्याप्रसाद, बाबूलाल वल्द रागलाल, गनेश सिंह वल्द प्यारेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	64	1.070	0.274
41	निरंजन वल्द नरान सींग मीनाबाई पुत्री नरानसींग, गोलू दीपू नाबालिग पिता निरंजन वली व खुद भौं जानकी पति निरंजन साकिन देह	भूमिस्वामी	62/1	0.960	0.125
42	अशोकरानी पति हग्गीरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	62/2	0.200	
43	गुदऊ पिता रंजोर सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	60/1	0.80	0.504
44	हग्गीरसींग पिता कुदऊसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	60/2	3.600	
45	गोविन्दासींग बल्द कुदऊसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	60/3	1.510	
		भूमिस्वामी	57	0.300	0.048
46	शिवराजसींग वल्द गनेशसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	30/1	6.230	0.634
47	गुलाबबाई पति शिवराज पुत्री बाबूलाल साकिन कोयरा	भूमिस्वामी	30/2	2.000	

48	चन्द्रभान उर्फ बिहारी वल्द दीपसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	51	1.610	0.264	
49	शिवदयाल किशोरसींग छतरसींग पिता बट्टूलाल, लालसाब बालिग इगरत, रामजी, लीलाधर नाबालिग खेतसींग वली माँ व खुद सदारानी वेवा खेतसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	52	3.190	0.003	
50	नाथूराम पिता चित्तरसिंह लोधी साकिन देह	भूमिस्वामी	50	0.930	0.163	
सींगना माईनर नंबर-8						
51	रामनाथ पिता राजाराम साकिन पथरिया	भूमिस्वामी	300/1	0.750	0.355	
52	कमल, राजेश पिता मोतीलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	300/2	0.800		
53	कोमल वल्द गंगा साकिन सींगना	भूमिस्वामी	299/1	0.840	0.432	
54	विन्द्रावन पिता काशीराम साकिन देहदीरजा	भूमिस्वामी	299/2	1.000		
55	सुरेन्द्र नाबालिग पिता व वली विन्द्रावन साकिन देह	भूमिस्वामी	299/3	0.890		
योग:-			60	54.790	7.636	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 39-अ-82-17-18-भू-अर्जन-19-5214

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु पद(2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS-MS/MPPCB/SEAC-I/TOR(283)/2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26/10/2020 तक वैध है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत मड़खेड़ा जागीर माईनर नंबर-5 नहर निर्माण
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : मड़खेरा जागीर
 4. पट.ह.नं.- : 130
 5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल : 2.896 है.

सरल क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा (हेक्टर में)	अर्जित रकवा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	सुशीलाबाई पत्नि रविशंकर पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1011	2.220	0.258	
2	संजय कुमार पिता मकरध्वज उर्फ मकरुप्रसाद पाण्डे सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1012/1	2.120	0.432	
3	प्रकाश पिता खेतसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1012/2	0.800		
4	नन्नु पिता मानसींग सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	72	1.510	0.294	
5	प्रेम बल्ल अमान साकिन देह	भूमिस्वामी	75/1	1.970	0.420	
		भूमिस्वामी	75/2	1.000		
6	चेनसींग पिता हनुमतसींग पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	84	1.700	0.092	
7	जमना पिता गुलाब पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	76/1	0.390	0.084	
8	गूरतसींग पिता दुरगसींग दांगी पता सा. बिलहरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	76/2	0.400	0.187	
9	नरान पिता गुलाब साकिन देह	भूमिस्वामी	78/1	0.380	0.022	
10	परषोत्तम पिता नन्हेभाई साकिन बिलहरा	भूमिस्वामी	78/2	0.400		
11	रामचरन पिता घस्सा साकिन देह	भूमिस्वामी	82/1	0.400	0.106	
12	महताप पिता घस्सा साकिन देह	भूमिस्वामी	82/2	0.400		
13	तरवर पिता घस्सा साकिन देह	भूमिस्वामी	82/3	0.400		
14	गूरतसींग पिता दुरगसींग दांगी सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	83/1	1.400	0.324	
15	पुरषोत्तम पिता नन्हेभाई सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	83/2	0.400		

16	पंचम घुन्नी बालकिशन झब्बू पिता छैकोड़ी कुसुमरानी बेवा छैकोड़ी गिरजा पुत्री छैकोड़ी दयाराम, धीरज पिता मरिया साकिन देह	भूमिस्वामी	81/1	0.270	0.130
17	नरान बल्द प्रहलाद साकिन देह	भूमिस्वामी	81/2	0.530	
18	शोभाराम श्रीराम पिता परसू देह	भूमिस्वामी	80	0.790	0.149
19	बाबूसिंह पिता प्रहलादसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	45	0.220	0.048
20	कमलेश हल्लेभाई कुवरबाई पिस. विन्दावन सा. देह	भूमिस्वामी	44/1	0.180	0.015
21	गीताबाई पुत्री विन्दावन साकिन देह	भूमिस्वामी	44/2	0.060	
22	शोभाराम श्रीराम पिता परसू देह	भूमिस्वामी	43	0.100	0.061
23	पंचम घुन्नी बालकिशन झब्बू पिता छैकोड़ी कुसुमरानी बेवा छैकोड़ी गिरजा पुत्री छैकोड़ी दयाराम, धीरज पिता मरिया साकिन देह	भूमिस्वामी	42	0.050	0.029
24	श्रीदुलैया जोजे प्रहलाद साकिन देह	भूमिस्वामी	41	1.080	0.077
		भूमिस्वामी	39	0.040	0.002
		भूमिस्वामी	38	0.100	0.003
25	पानबाई पति महेश पुत्री नरान पता सा. देह	भूमिस्वामी	37	0.320	0.096
26	गोमती बेवा बुद्धे कमलाबाई गिरजाबाई पुत्री बुद्धे पता सा. बिलहरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	36	0.270	0.067
योग:-			29	19.9	2.896

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 46-अ-82-17-18-भू-अर्जन-19-5216

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु पद(2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS-MS/MPPCB/SEAC-I/TOR(283)/2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26/10/2020 तक वैध है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 हैं। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत बम्होरी माईनर नंबर-2 एवं 4 नहर निर्माण
- (2) भूमि का विवरण :
1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : बम्होरी
 4. पट.ह.नं.- : 133
 5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल : 7.877 है.

संरल क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
बम्होरी माईनर नंबर-2						
1	कोमल नोनीतराम पिस. पंचा पारवती पुत्री पंचा, किशनपुरवारी देवा बट्टू रामा, दमरु पिता बट्टू, देववती पुत्री बट्टू साकिन बेरखेडी	भूमिस्वामी	83	0.720	0.020	
2	अरविन्द सुरेश राजकुमार लक्ष्मण पिस. अनंतराम सा. देह	भूमिस्वामी	85	0.410	0.002	
3	रामलोचन पिता ज्वालाप्रसाद साकिनदेह नरेन्द्र पिता बबू साकिन बिलहरा हिस्सा 0.10 हे.	भूमिस्वामी	58/1	0.240	0.326	
4	माधव प्रसाद पिता जगनाथ प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	58/2	0.600		
5	रमाकांत पिता द्वारका प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	58/3	0.400		
6	विनाद कुमार बल्द शंकरलाल गीनाबाई बेवा अनिल कुमार ज्योति स्वाति सुनीता स्मिता सोनग नावा. पुत्री अनिल कुमार वली गां गीनाबाई बेवा अनिलकुमार साकिन सिमरिया	भूमिस्वामी	117	0.360	0.002	
7	डेलन पिता परम साकिन देह सेवा खातेदार	सेवाखातेदार	128/4	3.150	0.634	
8	शालीबाई पुत्री घसिया झलकन संजू भगवानदास नावा. पिता व पालक कुन्दन पिता दीना जीवन बल्द प्यारेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	131	0.200	0.154	

9	तुलसीराम भागवती माया ऊषा पिता भैयालाल हीरा बेवा भैयालाल संजू लालसींग बल्द बाबूलाल वंदना राजकुमारी पुत्री बाबूलाल क्रांति बेवा मिट्टूलाल ब्रजेशकुमार निहाल अमित ना.वा. पिता मिट्टूलाल भारती ना.वा. पुत्री मिट्टूलाल पालक मां क्रांतिबाई बेवा मिट्टूलाल पता सां बिलहरा	भूमिस्वामी	132/1	1.470	0.566	
10	माया पत्नि माधवप्रसाद साकिन सींगना	भूमिस्वामी	132/2	0.400		
11	कमलसिंह बल्द हरिशंकर साकिन बिलहरा	भूमिस्वामी	133/1	0.120	0.194	
		भूमिस्वामी	133/2	0.480	0.016	
बन्हौरी माइनर नंबर-4						
12	वीरसींग बल्द जगन्नाथ साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	209	3.040	0.004	
13	निर्मयसींग पिता जगन्नाथसींग साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	210	2.750	0.270	
14	भीकमसींग बल्द जगन्नाथसींग साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	211/1	1.070	0.144	
15	धमेन्द्रसिंह बल्द गन्धर्वसिंह साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	211/2	1.400	0.228	
16	अमानसींग पिता भीकमसींग साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	211/3	1.400	0.228	
17	हरिभगवान बल्द भैयालाल साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	311/320	0.480	0.004	
18	लालसींग राजेन्द्र सींग प्रथमसींग पिता माधोसींग अवधरानी देवा माधोसींग साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	212	2.940	0.276	
19	हरिभगवान बल्द भैयालाल साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	214	2.670	0.318	
		भूमिस्वामी	219	2.570	0.451	
20	लखनसींग पिता भैयालाल साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	215	4.410	0.096	
21	रामलोचन पिता ज्वालाप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	220/1	2.000	0.605	
22	भगवतशरण पिता द्वारकाप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	220/2	0.600		
		भूमिस्वामी	220/3	0.600		
23	राजकुमार पिता द्वारका प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	220/4	0.900		
24	देवेन्द्र राजकुमार अभिषेक संतोष पिता जमना प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	218/1	1.320	0.528	
25	बेरीवाई सूरजबाई गीताबाई कलीबाई पुत्री बट्टीप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	218/2	0.400		
26	देवेन्द्र राजकुमार अभिषेक संतोष पिता जमना प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	245	3.520	0.144	
27	सियारानी बेवा हल्का शोभा भागीरथ माधो भूपत बल्लू दयाल गोविन्द पिस. हल्का लच्छीबाई इमरतीबाई अहिल्याबाई पुत्री हल्का गंगाबाई बेवा अनंदी गोकुल हरिदास छोटाबाबू प्रकाश विजय पिस. आनंदी जानकी हल्कीबिन्ना पुत्री अनंदी साकिन सींगना	भूमिस्वामी	244	2.520	0.355	
28	सियारानी बेवा हल्का शोभा भागीरथ माधो भूपत बल्लू दयाल गोविन्द पिस. हल्का लच्छीबाई इमरतीबाई अहिल्याबाई पुत्री हल्का साकिन सींगना	भूमिस्वामी	247	2.070	0.254	
29	गोविन्द बल्द नन्हेभाई साकिन सींगना	भूमिस्वामी	248	0.810	0.168	
30	दौलत सींग पिता छत्तरसींग साकिन सींगना	भूमिस्वामी	249/1	1.400	0.122	
31	जगतसींग बल्द शिवदयाल साकिन सींगना	भूमिस्वामी	249/2	0.400		
32	नन्हे भाई पिता छत्तर सिंह साकिन सींगना	भूमिस्वामी	249/3	1.800		
33	शिवरानी पत्नि छत्तरसींग साकिन सींगना	भूमिस्वामी	249/4	1.320		

34	राम किरान पिता गोले साकिन सीगना	भूमिस्वामी	250/1	1.410	0.394
35	गोविन्द पिता नन्हेभाई साकिन सीगना	भूमिस्वामी	250/2	0.610	
36	हनमत पिता गोले साकिन सीगना	भूमिस्वामी	250/3	1.010	
37	गोविन्द मुन्ना पिस. मानसीग पारवती मुन्नी पुत्री मानसीग भारीबाई बेवा कन्छेदी मोहन बूठे पिता कन्छेदी उषा पुत्री कन्छेदी साकिन सीगना	भूमिस्वामी	268	1.100	0.144
38	कमल पिता लक्ष्मीप्रसाद साकिन सीगना	भूमिस्वामी	271/1	1.450	0.264
39	महेश सिंह बल्द भूपत साकिन सीगना	भूमिस्वामी	271/2	1.130	
40	भूपत सीग पिता ग्या प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	271/3	1.250	
41	हरगोविन्द बल्द कमोदसीग साकिन सीगना	भूमिस्वामी	159/1	0.400	0.302
42	राजेन्द्र पिता लक्ष्मीप्रसाद सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	159/2	1.050	
43	प्रहलाद सीग बल्द कमोद साकिन सीगना	भूमिस्वामी	159/3	0.520	
44	कमल पिता लक्ष्मीप्रसाद साकिन सीगना	भूमिस्वामी	159/4	0.530	
45	हरगोविन्द बल्द कमोदसीग साकिन सीगना	भूमिस्वामी	158	1.200	0.115
46	प्रहलाद सिंह हरगोविन्द पिता कमोदसीग साकिन सीगना	भूमिस्वामी	153	1.020	0.048
47	कृष्णा सिंह बल्द लखनसिंह साकिन सीगना	भूमिस्वामी	152	1.500	0.042
48	किशोरसीग बल्द बट्टूलाल साकिन सीगना	भूमिस्वामी	150	1.120	0.043
49	छतरसीग पिता बट्टूलाल साकिन सीगना	भूमिस्वामी	149	0.750	0.013
50	गोविन्द, मुन्ना पिता मानसीग साकिन सीगना	भूमिस्वामी	269/1	1.610	0.403
51	भूपेन्द्र ना. वा. बल्द राजकुमार बली नन्हेभाई बल्द खुशाल साकिन सीगना	भूमिस्वामी	269/2	0.800	
		भूमिस्वामी	269/3	0.400	
योग:-			56	69.800	7.877

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृष्टित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 51-अ-82-17-18-भू-अर्जन-19-5213

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु पद(2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS-MS/MPPCB/SEAC-I/TOR(283)/2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26/10/2020 तक वैध है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत बिलहरा माईनर नंबर-2 एवं 3 नहर निर्माण
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : बिलहरा
 4. पट.ह.नं.- : 134
 5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल : 16.054 है.

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल हे.में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
बिलहरा माईनर नंबर-2						
1	बिजेन्द्र सिंह पिता यतेन्द्र सिंह उर्फ इन्द्राज सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	460	5.700	0.086	
2	गोकल पिता गफलू साकिन देह	सेवा खातेदार	388	1.500	0.072	
3	माया उर्फ सरिता पति माधव हि. 900 वर्गफीट, माधव वल्द बैजनाथ हि. 400 वर्गफीट अमित पिता माधव प्रसाद हि. 400 वर्गफीट, अजय पिता माधव हि. 400 वर्गफीट, अलका पुत्री माधव हि. 1152 वर्गफीट, अतुल पिता माधव हि. 600 वर्गफीट, श्रद्ध वल्द अमित प्रसाद हि. 600 वर्गफीट, स्वप्निल पति अजय हि. 600 वर्गफीट, अजय पुत्री माधव हि. 1200 वर्गफीट, अनिल वल्द मुन्नालाल हि. 1360 वर्गफीट साकिन देह	भूमिस्वामी	393/1	0.07	0.007	
4	माया पति माधव प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	393/2	0.970		
5	जयविजय वल्द हरीसींग, मुशी वल्द रामसींग, उपेन्द्र वल्द पृथ्वीसिंह साकिन गहुवाखेड़ा, वीरसींग पिता महेन्द्र सींग साकिन तिलकगंज वार्ड सागर हि 1350 वर्गफीट	भूमिस्वामी	453/1	0.130	0.115	
6	रमेश सिंह, जाहर सिंह पिता श्री सींग साकिन बक्सवाहा	भूमिस्वामी	453/2	0.300		

7	रामा पति श्याम सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	387/1	0.400	0.461
8	अवधेश, अजीत सिंह पिता श्याम सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	387/2	1.260	0.153
		भूमिस्वामी	389	0.900	
9	हन्नू पिता परसू साकिन देह	भूमिस्वामी	391	0.410	0.125
10	हरकिशन पिता दुर्गा साकिन देह	भूमिस्वामी	392	1.060	0.067
11	जुगल किशोर पिता पुरुषोत्तम, रूपकिशोर, बृहम्मदत्त, दुष्यंत पिता बृजकिशोर उषाकिरण बेवा बृजकिशोर साकिन देह	भूमिस्वामी	342	9.380	0.643
12	यतेन्द्र सिंह उर्फ इन्द्राज पिता बलवंत सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	341	5.660	0.384
13	माधव, संतोष पिता बैजनाथ, प्रागबाई, पूनाबाई, अनुसुईयाबाई, सरोजबाई पुत्री बैजनाथ, किरणबाई उर्फ बोकाबाई बेवा मुन्ना, हीरो उर्फ अनिल पिता मुन्ना, बसंतकुमार पिता सत्यनारायण साकिन देह	भूमिस्वामी	379	6.470	0.105
14	रविशंकर पिता दीनानाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	1418	2.970	0.240
15	देवीदयाल पिता नर्मदाप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	1142	1.610	0.612
16	पदमसिंग अजय कुमार पिता जैसिंग साकिन देह	भूमिस्वामी	1141	0.210	0.120
17	परमानंद पिता गनपत सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	1140	0.210	0.126
18	बाबूलाल बल्द गफलू साकिन देह	भूमिस्वामी	1128	0.540	0.240
19	गोरेलाल पिता गफलू पिता सुखलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	1127	0.060	0.030
20	गोरेलाल पिता सुखलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	1126	0.890	0.252
21	ारदाबाई उर्फ कुशुमरानी पुत्री रामप्यारे बेवा चन्द्रशेखर साकिन देह	भूमिस्वामी	1095	0.780	0.276
22	प्रहलाद बल्द भवानी प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	1093	1.160	0.144
23	प्रहलाद भवानी प्रसाद सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	1092/1	0.730	0.120
24	प्रहलाद बल्द भवानी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	1092/2	0.730	0.132
25	प्रहलाद बल्द भवानी प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	1091/1	0.300	
26	हेमन्त ना. वा. बल्द वली रामेश्वर प्रसाद बल्द गोकल प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	1091/2	0.800	
27	झलकन पिता रामनाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	1090	1.080	0.126
28	नारायण प्रसाद पिता गोकल साकिन देह	भूमिस्वामी	1089	0.320	0.020
29	राजकुमारी पत्नि वीरसिंग साकिन अहमद नगर विन्दावन वार्ड सागर	भूमिस्वामी	1088	0.810	0.174
30	रामेश्वर पिता गोकुल साकिन देह	भूमिस्वामी	1087/1	1.400	0.312
31	सुरेश बल्द गोकल साकिन देह	भूमिस्वामी	1087/2	0.920	
32	बालचंद पिता लक्ष्मण साकिन देह	भूमिस्वामी	978	1.420	0.360
33	सुरशे पिता गोकल सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	1085	0.380	0.077
34	गल्थू पिता दुरगा खजुरियावारी बेवा दुरगा साकिन देह	भूमिस्वामी	990	0.990	0.168
35	काशीराम पिता फूलसिंग साकिन देह	भूमिस्वामी	989	0.990	0.264
36	चन्द्रभान पिता बालमुकुन्द साकिन सागर	भूमिस्वामी	988/1	0.010	0.010
37	राकेश कुमार बृजेशशरण वलद चूरामन, नीलेश कुमार नाबालिग वल्द नवीन कुमार, प्रकाश कुमार नाबालिग वल्द प्रवीण कुमार पालक आजी गोराबाई पत्नि चूरामन साकिन देह	भूमिस्वामी	988/2	0.170	
38	जितेन्द्र सिंह पि. विजयबहादुर निर्मलादेवी बेवा विजय बहादुर सिंह भूमि स्वामी हीरेन्द्र कुमारी तिलोत्तमा कुमारी जयवंत कुमारी पुत्री विजय बहादुर सिंह, कुलदीप, दिलीप सिंह, संदीप नाबालिग पिता रणधीर सिंह पालक व खुद माँ हेमकुमारी बेवा रणवीर सिंह प्रेमसिंह वल्द अमोल सिंह साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	1019/1	5.590	0.576
39	कनई पिता तुलसीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	1019/2	0.030	

40	जितेन्द्र सिंह बल्द विजय बहादुर सिंह नर्मदा इन्द्राज मोहन जमना पिता नन्हा, जमना वल्द नन्हेलाल, चन्द्रानी पति हीरालाल, संतोषरानी पति बालमुकुन्द साकिन देह	भूमिस्वामी	1019/3	0.390		
41	जितेन्द्रसिंह पिता विजयबहादुर सिंह, निर्मला देवी वेवा विजय बहादुर सिंह, माला वालिग अनीता नाबालिग पुत्री रणधीर सिंह पालक व खुद माँ हेमकुमारी वेवा रणधीर सिंह, हीरेन्द्र कुमारी शिलोचना कुमारी जसवंत कुमारी पुत्री विजयबहादुर सिंह, कुलदीप, दिलीप कुमार, संदीप नाबालिग पिता रणधीर सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1022	0.660	0.138	
42	जितेन्द्र सिंह पिता विजयबहादुर सिंह, निर्मला देवी वेवा विजयबहादुर सिंह, माला बालिग अनीता नाबालिग पुत्री रणधीर सिंह पालक व खुद माँ हेमकुमारी वेवा रणधीर सिंह, हीरेन्द्र कुमारी, शिलोचना कुमारी, जसवंत कुमारी पुत्री विजय बहादुर सिंह, कुलदीप, दिलीप कुमार, संदीप नाबालिग पिता रणधीर सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	862	1.270	0.312	
43	गोमतीबाई वेवा दिभान रमली हीरालाल गोकल, प्रेमदयाल, पिता दिभान हीराबाई मलतोबाई, गीताबाई, ललताबाई पुत्री दिभान सा. देह	भूमिस्वामी	845/1	0.310	0.077	
45	गोकल पिता दिभान पटेल साकिन देह	भूमिस्वामी	845/2	0.070		
46	जितेन्द्र सिंह पिता विजय बहादुर सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	846/1	5.100		
47	संदीप नाबालिग पिता रघवीर सिंह, दीपमाला वालिग अनीता नाबालिग पुत्री रघवीर सिंह वली व खुद माँ हेमकुमारी वेवा रघवीर सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	846/2	2.550	0.864	
48	जितेन्द्र सिंह पिता विजय बहादुर, सुमान खां वल्द पीर मुह.	भूमिस्वामी	846/5	0.020		
49	सुगतारानी वेवा नारान, भगवानदास, बाबूलाल, दामोदर, मनोहर पिता नरान, गोपीबाई, गालतीबाई, जयन्ती, उगा, कौशिल्या, मोतीबाई पुत्री नरान साकिन देह	भूमिस्वामी	507	0.200	0.125	
50	रतन पिता बैनी साकिन देह	भूमिस्वामी	508	0.220	0.096	
51	दयाली नन्हेलाल घनश्याम हीरालाल पिता केहरी, सुकरानी वेवा केहरी, प्रीति पुत्री केहरी साकिन देह	भूमिस्वामी	506	0.070	0.012	
52	किसान पुत्र उद्धार (शिक्षा) समिति बिलहरा सचिव कृष्णा सिंह पिता छोटे सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	505	0.760	0.134	
53	कुंवरबाई वेवा उदयभान सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	504	1.300	0.278	
54	छोटेसींग नन्नेभैया पि. भैयालाल पिता भैयालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	513/1	0.750	0.029	
55	किसान पुत्र उद्धार (शिक्षा) समिति बिलहरा सचिव कृष्णा सिंह पिता छोटे सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	513/2	0.170		
56	फूलाबाई वेवा उदयभान सींग सा. देह	भूमिस्वामी	503/1	0.160	0.007	
		भूमिस्वामी	503/2	0.110		
57	गाधव प्रसाद बल्द बैजनाथ प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	500/1	1.550	0.240	
58	अमित पिता गाधव प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	500/2	1.010		
59	प्रकाशचंद पिता मगनचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	499	1.120	0.135	
		भूमिस्वामी	495	1.370	0.144	
60	दिनेश कुमार, श्रीचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	478	1.400	0.202	
		भूमिस्वामी	477/2	0.690	0.144	
61	रामदास रादयाल पिता कच्छेदी साकिन देह	भूमिस्वामी	477/1	0.060	0.202	
62	बिहारी पिता भैयालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	475	0.400	0.125	

63	गरिमा पति रितुल कुमार साकिन सागर	भूमिस्वामी	466	0.810	0.192
64	रमेशचन्द्र पिता छोटेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	464/1	1.010	0.115
65	रमेशचन्द्र बल्द छोटेलाल राजेन्द्रकुमार बल्द रमेशचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	464/2	0.800	0.048
66	विजेन्द्रसिंह पिता यतेन्द्रसिंह उर्फ इन्द्राजसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	460	5.700	0.422
बिलहरा माईनर नंबर-3					
67	कमल क्रांति पत्नि संतोषकुमार साकिन देह	भूमिस्वामी	770	2.370	0.018
68	विष्णुप्रसाद पिता पंचम साकिन देह	भूमिस्वामी	764/1	2.050	0.528
69	अगरसींग बल्द चेतू सा. देह	भूमिस्वामी	764/2	2.050	
70	गुरलीधर पिता गुवन्दी साकिन देह	भूमिस्वामी	763	1.830	0.187
71	मनीष पिता यशोदानंदन साकिन देह	भूमिस्वामी	758/1	1.390	
72	कुसुमरानी पति मुन्ना साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	758/2	0.890	0.057
73	भगवानदास बल्द रमेश साकिन देह	भूमिस्वामी	758/3	1.000	
74	चेतू पिता हल्का सा. देह मुरारीसिंह पिता विजयसिंह साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	759	0.790	0.019
75	कुसुमरानी पत्नि मुन्ना साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	757	1.100	0.375
76	प्रतापसींग शिवराज सींग इन्द्राज सींग ना. वा. पिता जगतसींग पालक काका गोकलसींग साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	748	2.050	0.264
77	नमीता पति अरविन्द सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	720/1	2.000	
78	सत्यनारायण ना.वा. बल्द वीरसींग अभिषेक ना.वा. बल्द राजन बल्द आज्ञा महाराजसींग बल्द लक्ष्मणसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	720/2	0.600	0.712
79	राघवेन्द्र पिता विजय सिंह साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	720/3	1.790	
80	सुरेन्द्र पिता प्रताप सिंह साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	720/4	1.600	
81	प्रकाशचंद पिता मगनचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	723	1.950	0.115
82	सियाबाई पत्नि शिवराज सिंह राधाबाई पत्नि इन्द्राज सिंह अनिरुद्ध ना. वा. पिता प्रताप सिंह पालक जगतसिंह साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	715	4.820	0.096
83	श्री देव जानकी रमण जी मंदिर	भूमिस्वामी	714	2.020	0.288
84	इन्द्राजसिंह पिता जगतसिंह साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	713	0.810	0.173
85	अनिरुद्धसींग पिता जगतसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	691	0.500	0.178
86	लक्ष्मी प्रसाद पिता बद्धीप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	688	0.930	0.192
87	करन सींग बल्द सुमेर सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	693	1.190	0.115
88	औकार पिताशंकर प्रसाद लक्ष्मीप्रसाद पिता बद्धीप्रसाद रामसंखी अशोकरानी पु० बद्धीप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	687	1.550	0.002
89	लोकगन बल्द द्वारकाप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	556/1	1.270	0.384
90	बाबूलाल बल्द द्वारकाप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	556/2	1.270	
91	नोकेलाल बल्द द्वारकाप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	556/3	1.260	
92	भूपत बल्द द्वारका साकिन देह	भूमिस्वामी	558/1	0.600	0.120
93	द्वारका पिता गनेश साकिन देह	भूमिस्वामी	558/2	1.520	
94	भूपत बल्द द्वारका साकिन देह	भूमिस्वामी	559/1	0.580	0.086
95	गणपू पि. कच्छेदी साकिन देह	भूमिस्वामी	559/2	0.700	
96	श्री देव जानकी रमण जी मंदिर प्रबंधक कलेक्टर सागर	भूमिस्वामी	562	1.460	0.154
97	प्यारीबाई पुत्री हरीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	564/1	0.120	0.168
98	दग्गू उर्फ दामोदर, मोहन पिता रगली साकिन देह	भूमिस्वामी	564/2	0.480	
99	भगवानदास पिता नारायण साकिन देह	भूमिस्वामी	567	0.650	0.062
		भूमिस्वामी	586	0.520	0.053

100	नंदलाल, घनश्याम, शालकराम पिता सुकई, ललिता पुत्री सुकई, सियारानी वेवा सुकई, टन्दू पिता शंकर, लटोरी पिता मजरी, कच्छेदी पंचू पिता मुलू, कनई पिता हल्के, गुलाबरानी वेवा हरीराम, प्यारीबाई पुत्री हरीराम, लालसींग पिता मोहन, गोपीबाई वेवा केहरी, दयाली, नन्ना, घनश्याम, हीरालाल पिता केहरी, दामोती, प्यारी पुत्री केहरी, फूलरानी वेवा घसीटे, गधरवस मोहन, दामोदर पिता घसीटे, लक्ष्मीबाई, सवित्रीबाई पुत्री घसीटे, सुहागरानी वेवा छुट्टा, माधव, अच्छेलाल, नंदलाल, राजू पिता छुट्टा, नरबद, शारदा, गनेशी, प्यारी, हीरा पुत्री छुट्टा, सुमतरानी वेवा नरान, भगवानदास बाबूलाल, दामोदर, मनोहर पिता नरान, गोपीबाई, भालतीबाई, जयन्ती, उमा, कौशिल्या, मोतीबाई पुत्री नरान, रामरानी वेवा गिरधारी, कमल, डेलन, बाबूलाल, लक्ष्मन पिता गिरधारी, नत्थीबाई, गुलाबाई, तुलसाबाई, गोमती, अनीता पुत्री गिरधारी, कमलरानी वेवा चन्दन, मन्नु पिता चन्दन, रतन पिता नन्नी, भगवती, नन्नी, हल्की पुत्री बैनी, गुलाबरानी वेवा रामदास, सुकईया, हीरालाल, पुन्ना पिता रामदास साकिन देह	भूमिस्वामी	566	0.020	0.019
101	दयाली नन्हेलाल घनश्याम हीरालाल पिता केहरी, सुकरानी वेवा केहरी, प्रीति पुत्री केहरी साकिन देह	भूमिस्वामी	584	0.240	0.086
102	मन्नु पिता काशीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	583/1	0.260	0.154
		भूमिस्वामी	583/2	0.260	
103	रतन पिता लक्ष्मन साकिन देह	भूमिस्वामी	594	0.550	0.096
104	श्री देव जानकीरमण जी मंदिर बेदान्ती सागर मुहत्तमकार रामदास चेला हरीदास बैरागी साकिन सागर प्रबंधक कलेक्टर सागर	भूमिस्वामी	592/1	0.090	0.003
105	घनश्याम पिता निरपत साकिन देह	भूमिस्वामी	592/2	0.880	
106	सुमतरानी वेवा नरान, भगवानदास, बाबूलाल, दामोदर, मनोहर पिता नरान, गोपीबाई, भालतीबाई, जयन्ती, उमा, कौशिल्या, मोतीबाई पुत्री नरान साकिन देह	भूमिस्वामी	593	0.350	0.134
107	नंदरानी वेवा काशीराम भगवानदास मन्नुलाल तुलसीराम, रामदास, गोविन्द वालिग प्रकाश, रामचरण नाबालिग पिता काशीराम वली माँ नंदरानी चंदोबाई वालिग पार्वतीबाई नाबालिग पुत्री काशीराम वली माँ नंदरानी दुलारी वेवा खेगचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	595	0.590	0.130
		भूमिस्वामी	601	0.060	0.002
108	सुहागरानी वेवा छुट्टा, माधोप्रसाद भैयालाल सुन्दर वल्द छुट्टा साकिन देह	भूमिस्वामी	596/1	1.530	0.230
109	गाखन रामू न्थू घनश्याम पिता निरपत खानजू, प्रहलाद पिता कलू, द्रोपती पुत्री कलू, सियारानी वेवा कलू साकिन देह	भूमिस्वामी	602	0.990	0.139
110	गाखन रामू न्थू घनश्याम पिता निरपत अवधरानी वेवा उद्धेत, भागबाई, गोपीबाई पुत्री उद्धेत, शिबू पिता गुल्ले, खानजू प्रहलाद पिता कलू, द्रोपती पुत्री कलू सियारानी वेवा कलू साकिन देह	भूमिस्वामी	603	0.570	0.077
योग:-			116	141.440	16.054

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के

उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 11-अ-82-17-18-गांधी ग्राम-8505

बैतूल, दिनांक 18 जुलाई 2019

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची- (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-(1)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा(हे० में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	घोड़ाडोंगरी	गांधीग्राम	2.419	तवा ।।। खदान खोलने हेतु

अनुसूची- (2)
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम.	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हे० में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	निरन व० तारापद सा० देह	159/1	0.503	0.503
2	विरेन व० तारापद सा० देह	159/2	0.504	0.504
3	विधान व० तारापद सा० देह	159/3	0.504	0.504
4	विपुल व० तारापद सा० देह	159/4	0.504	0.504
5	राजेन्द्र कुमार व० प्राण सा० देह	160	0.110	0.110
6	रतन, पुशिद, भोला, व० सुधीर, गणेश, नाबा व० सुधीर, वलिमा, मदारी, भागवती, प्रभाकी व० सुधीर सा० देह	13.	2.015	0.294
योग			4.140	2.419

(2) चूंकि भूमिगत खदान हेतु भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित है। कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2019

प्र. क्र. 03-अ-82-2018-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि गढ़ीसेमरा तालाब डूब क्षेत्र हेतु आने वाले अधिकांश भू-भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	बक्स्वाहा	मढ़ियाखुर्द (वीरान)	7.300	अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी बिजावर.	गढ़ीसेमरा तालाब के भराव क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छतरपुर, दिनांक 1 जुलाई 2019

प्र. क्र. 01-अ-82-2019-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	सलैया	77.690	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/ भू-अर्जन अधिकारी राजनगर.	पिपरिया तालाब योजना निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	डुगरिया	8.960	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/ भू-अर्जन अधिकारी राजनगर.	पिपरिया तालाब योजना निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	पिपरिया	43.550	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/ भू-अर्जन अधिकारी राजनगर.	पिपरिया तालाब योजना निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 01-अ-82-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि गढ़ीसेमरा तालाब डूब क्षेत्र हेतु आने वाले अधिकांश भू-भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही

पूर्व में की जा चुकी है। इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
छतरपुर	बक्स्वाहा	जुझारपुरा	22.413	अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी बिजावर.	गढ़ीसेमरा तालाब के भराव क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि गढ़ीसेमरा तालाब डूब क्षेत्र हेतु आने वाले अधिकांश भू-भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
छतरपुर	बक्स्वाहा	गढ़ीसेमरा	6.937	अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी बिजावर.	गढ़ीसेमरा तालाब के भराव क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहित बुंदस, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 2 जुलाई 2019

प्र. क्र. 4-अ-82-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
दतिया	दतिया	खटोला	4.61	कार्यपालन यंत्री दतिया सिंचाई नहर संभाग, दतिया (म. प्र.).	दतिया जिले के अंतर्गत खटोला लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी कलेक्टर दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 3-अ-82-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	ललउआ	1.56	कार्यपालन यंत्री दतिया सिंचाई नहर संभाग, दतिया (म. प्र.).	दतिया जिले के अंतर्गत खटेला लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी कलेक्टर दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. जामोद, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 6 जुलाई 2019

रा. प्र. क्र. 03-अ-82-2018-2019-भू-अर्जन.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा.2ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत जामलापानी जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	पान्दुर्णा	ग्राम-नजरपुर, प.ह.न.-01, ब. न.-21, रा.नि.मं.-पान्दुर्णा.	मानिकराव पि. झबल पवार निवासी जामलापानी.	27/3	0.190	जामलापानी जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
कुल योग . .					0.190	

- (2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अधिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 12 जुलाई 2019

प्र. क्र. 15-अ-82-वर्ष 2017-18.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम डुंगरहो तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़ स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 04-05-2019 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25(2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	डुंगरहो	निजी भूमि रकबा 4.800	उपमुख्य अभियंता नि. पश्चिम मध्य रेलवे पन्ना.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम डुंगरहो.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 18-अ-82-वर्ष 2017-18.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम कगरे का बारा तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़ स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 04-05-2019 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25(2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	कगरे का बारा	निजी भूमि रकबा 12.952	उपमुख्य अभियंता नि. पश्चिम मध्य रेलवे पन्ना.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम कगरे का बारा.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 22-अ-82-वर्ष 2017-18.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम किशनपुर तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़ स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 11-05-2019 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25(2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	किशनपुर	निजी भूमि रकबा 15.466	उपमुख्य अभियंता नि. पश्चिम मध्य रेलवे पन्ना.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम किशनपुर.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 19-अ-82-वर्ष 2017-18.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम सिमराखुर्द तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़ स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 04-05-2019 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25(2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	सिमराखुर्द	निजी भूमि रकबा 3.993	उपमुख्य अभियंता नि. पश्चिम मध्य रेलवे पन्ना.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम सिमराखुर्द.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 16-अ-82-वर्ष 2017-18.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम पडरहा तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़ स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 04-05-2019 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25(2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर

अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	पडरहा	निजी भूमि रकबा 10.219	उपमुख्य अभियंता नि. पश्चिम मध्य रेलवे पन्ना.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम पडरहा.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 20-अ-82-वर्ष 2017-18.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम बडीरूथ तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़ स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 04-05-2019 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25(2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	बडीरूथ	निजी भूमि रकबा 2.803	उपमुख्य अभियंता नि. पश्चिम मध्य रेलवे पन्ना.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम बडीरूथ.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 17-अ-82-वर्ष 2017-18.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम मझगांय तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़ स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 04-05-2019 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25(2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	मझगांय	निजी भूमि रकबा 29.930	उपमुख्य अभियंता नि. पश्चिम मध्य रेलवे पन्ना.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम मझगांय.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 21-अ-82-वर्ष 2017-18.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम माधौगंज तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़ स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 04-05-2019 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25(2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	माधौगंज	निजी भूमि रकबा 1.128	उपमुख्य अभियंता नि. पश्चिम मध्य रेलवे पन्ना.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम माधौगंज.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 14-अ-82-वर्ष 2017-18.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम सब्दुआ तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़ स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 04-05-2019 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25(2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	सब्दुआ	निजी भूमि रकबा 20.724	उपमुख्य अभियंता नि. पश्चिम मध्य रेलवे पन्ना.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम सब्दुआ.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13-अ-82-वर्ष 2017-18.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम

भापतपुर कुर्मीयान तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़ स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 04-05-2019 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25(2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	भापतपुर कुर्मीयान.	निजी भूमि रकबा 14.736	उपमुख्य अभियंता नि. पश्चिम मध्य रेलवे पन्ना.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम भापतपुर कुर्मीयान.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 25 जुलाई 2019

प्र. क्र. 2278-भू-अर्जन-अ-82-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक तीस, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	बाबई	बागरा मानागांव	1.000	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, होशंगाबाद.	सोनतलाई स्टेशन से बागरातवा स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन के दोहरीकरण परियोजना हेतु ग्राम बागरा मानागांव की निजी भूमि ख. नं. 355/1, 355/2/1, 355/3/1 का अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.—सोनतलाई स्टेशन से बागरातवा स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन के दोहरीकरण परियोजना हेतु ग्राम बागरा मानागांव की निजी भूमि का अर्जन.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 30 मार्च 2019

प्र. क्र. 8-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके लिये यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) नगर/ग्राम—रेखा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.020 हेक्टर.

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	भगुवन्ती पत्नी नारायण अहिरवार, चन्दा पत्नी रामआसरे अहिरवार.	458	0.020

योग . . . 0.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 9-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके लिये यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) नगर/ग्राम—सदाफल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.212 हेक्टर.

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	बब्बू पिता बंसिया चमार	19	0.064
2	मोहनलाल, इन्द्रपाल पिता मुलुआ, सिज्जीबाई बेवा रामऔतार, ऋचिन पिता रामऔतार, ऋचा पुत्री रामऔतार दोनों ना. वा. सर मा. सिज्जीबाई बेवा रामऔतार गड़रिया.	25/2/1	0.038
3	मोहनलाल, इन्द्रपाल पिता मुलुआ, सिज्जीबाई बेवा रामऔतार, ऋचिन पिता रामऔतार, ऋचा पुत्री रामऔतार दोनों ना. वा. सर मा. सिज्जीबाई बेवा रामऔतार गड़रिया.	27	0.040
4	हल्कूराम तनय भगवानदास लुहार.	225/1	0.070

योग . . . 0.212

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके लिये यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) नगर/ग्राम—टहनगा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.018 हेक्टर.

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	रानीबाई बेवा कालीचरण तिवारी	84	0.018
योग . .			0.018

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहित बुंदस, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 2 जुलाई 2019

प्र. क्र. 01-अ-82-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन

हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि

- (क) जिला—दतिया
(ख) तहसील—दतिया
(ग) ग्राम—दीवान की रूद्र
(घ) अर्जित क्षेत्रफल—0.10 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर—17/1/1 कुल प्रभावित रकबा 0.10 हेक्टेयर भूमि एवं भूमि पर स्थित छोला के 2 वृक्ष, नीम का 1 वृक्ष, पक्की बाउण्ड्री वाल 1.5 मी. ऊँ. 80 मी. लं. 0.23 मी. चौ. कुल 27.60 घनमीटर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता—दतिया जिला के अन्तर्गत दतिया बायपास मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, कलेक्टर, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. जामोद, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 3 जुलाई 2019

पत्र क्र. 662-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवाँ

(ग) ग्राम—गोंदरी नं. 1

(घ) क्षेत्रफल—1.250 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
108	0.156	-
107	0.196	-
106	0.080	-
98	0.192	-
99	0.104	-
95	0.072	-
55	0.296	-
93	0.154	-
योग . . .	1.250	

(ब) शासकीय भूमि - निरंक
महायोग . . . 1.250

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पिपरवार वितरक नहर से गोंदरी माइनर नं. 3 के निर्माण के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 11 जुलाई 2019

प. क्र. 199-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम कोलहा-86, राजस्व निरीक्षक मण्डल अंतैरला, तहसील जवा, कल्याणपुर

कोलहा मार्ग में सतधर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—जवा
(ग) नगर/ग्राम—कोलहा-86
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.734 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
16	0.006
18	0.093
23	0.012
24	0.065
25	0.010
26	0.053
27/1	0.016
55	0.190
56	0.014
57	0.109
58	0.073
61	0.002
88	0.002
91	0.089
कुल योग . . .	0.734

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—
कल्याणपुर कोलहा मार्ग से सतधर नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प. क्र. 200-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है। चूंकि, ग्राम महमूदपुर, राजस्व निरीक्षण मण्डल सूरा, तहसील मनगवां, महमूदपुर देवरा मार्ग में पकडियार नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु, इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) नगर/ग्राम—महमूदपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.480 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1596/3/1	0.020
1593/1/1	0.039
1600/1	0.022
1600/2	0.022
1601/1	0.006
1601/2	0.006
1602/1/1/1	0.031
1602/2/1	0.030
1603/1	0.012
1603/2	0.012
1604/1	0.045
1604/2	0.045
1609	0.076
1610/1/1	0.069
1610/1/3	0.045
कुल योग . .	0.480

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है— महमूदपुर देवरा मार्ग में पकडियार नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओमप्रकाश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 9 जुलाई 2019

क्र. 4695-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—सौसर
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-मोहगांव, प.ह.नं.-29,
ब. नं.-327, रा. नि. मं.-सौसर.
(घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-0.420
प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर आने
वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
336/1क, ख, ग	0.300
336/2ग	0.088
336/2ख	0.032
योग . .	0.420 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मोहगांव जलाशय के रोड निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-सौसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, उप संभाग सौसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 4697-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—सौसर
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-मुंगनापार, प.ह.नं.-24/11, ब. नं.-316, रा. नि. मं.-सौसर.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-0.470 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
245/1	0.024
246/1	0.044
247/7	0.024
247/2	0.148
251/2	0.080
253/1	0.100
142	0.050
योग .	0.470 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मोहगांव जलाशय के रोड निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-सौसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, उप संभाग सौसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

छिन्दवाड़ा, दिनांक 11 जुलाई 2019

क्र. 4734-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—सौसर
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-साईंखेड़ा, प.ह.नं.-54, ब. नं.-374, रा. नि. मं.-लोधीखेड़ा.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-01.238 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
97	0.283
101/1	0.112

(1)	(2)	(ग)	प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
101/2	0.218	नगर/ग्राम—ग्राम—रोहना खुर्द, प.ह.नं.-24, ब. नं.-514, रा. नि. मं.-छिन्दवाड़ा.		
101/3	0.625	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—		कुल रकबा-07.857 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
योग .	01.238	हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.		
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—साईंखेड़ा जलाशय के नहर रहित बांध निर्माण की लघु सिंचाई के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.			(1)	(2)
			1/1	0.586
			1/5	1.500
			23	1.542
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.			1/2	0.675
			21/1	0.434
			1/3	0.473
			21/2	0.289
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-सौसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.			1/4	0.594
			21/3	0.155
			20/1	0.787
			35	0.172
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.			78	0.326
			34/2	0.086
			85	0.020
			86	0.029
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, उप संभाग सौसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.			87	0.009
			88/1	0.005
			88/2	0.005
			89	0.012
			90	0.011
			91	0.010
			92	0.012
			93	0.011
			127	0.018
			112/2	0.013
			135	0.070
			112/1	0.013
			योग .	07.857
				हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(1) भूमि का वर्णन—				
(क) जिला—छिन्दवाड़ा				
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा				

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रोहनाखुर्द जलाशय के बांध निर्माण की लघु सिंचाई के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.	(1)	(2)
	8	0.210
	27	0.470
	9	0.954
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.	10	0.283
	11	0.101
	12/1	0.991
	12/2	01.619
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	14	0.749
	18	02.065
	15	01.428
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	20	0.486
	21/2	0.523
	21/3	0.809
	21/5	0.405
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव नहर परियोजना उपसंभाग क्र.-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	21/1	02.950
	21/4	0.809
	21/6	0.405
	योग.	17.672 हेक्टर एवं

क्र. 4780-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—छिन्दवाड़ा
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-गंगई, प.ह.नं.-24, ब. नं.-120, रा. नि. मं.-छिन्दवाड़ा-1.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-17.672 प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4	01.808
5	0.325
6	0.282

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रोहनाखुर्द जलाशय के बांध निर्माण की लघु सिंचाई के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव नहर परियोजना उपसंभाग क्र.-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 जुलाई 2019

क्र. 4948-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—पांडुर्णा
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-बम्हणी, प.ह.नं.-53,
ब. नं.-263, रा. नि. मं.-पांडुर्णा.
(घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-0.011
प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर आने
वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
295/2	0.007
297/1	0.004
	योग. . 0.011 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 4949-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—पांडुर्णा
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-दाढीमेटा, प.ह.नं.-63,
ब. नं.-136, रा. नि. मं.-पांडुर्णा.
(घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-0.133
प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर आने
वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
252/2	0.019
249/3	0.001
249/4	0.016
249/2	0.011
249/1	0.002
192/1	0.004
191/1	0.038
191/2	0.035
189	0.007
	योग. . 0.133 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 4950-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—पांडुर्णा
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-करव्हार, प.ह.नं.-63, ब. नं.-36, रा. नि. मं.-पांडुर्णा.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल— कुल रकबा-0.449 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
38/3	0.018
38/4	0.032
44/1	0.097

(1)

44/2

54

184/3

224/1

224/3

221

(2)

0.020

0.056

0.039

0.021

0.023

0.143

योग. 0.449 हेक्टेयर एवं

प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 4951-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—पांडुर्णा

- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-पारडी, प.ह.नं.-61,
ब. नं.-237, रा. नि. मं.-पांडुर्णा.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-0.119
प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर आने
वाली संपत्तियां.

विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय
अधिकारी (राजस्व) महू, जिला इन्दौर
महू, दिनांक 5 जुलाई 2019
प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम 2)

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
277	0.019
264/4	0.011
263/3	0.004
263/2	0.004
262/4	0.004
106/1	0.073
92	0.004
योग .	0.119 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, उप-मुख्य अभियंता (निर्माण), मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

क्र. 1348-भू-अर्जन-2019.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि डीएमआईसी नर्मदा क्षिप्रा लिंक योजना अंतर्गत पीथमपुर जल प्रदाय परियोजना हेतु ग्राम सिमरोल, तहसील महू, जिला इंदौर से ग्राम मेमदी, तहसील महू, जिला इंदौर तक मध्यप्रदेश राज्य में डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाना प्रस्तावित है.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना है इस हेतु कृषकों की सहमति प्राप्त हो गई है.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होता है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, महू, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

ग्राम सिमरोल, पटवारी हल्का 65, तहसील महू, जिला इंदौर

अ. क्र.	भूमि धारक का नाम एवं पता	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	बलदेव पिता पन्नालाल लोधी, निवासी सिमरोल.	920/2	0.016

(1)	(2)	(3)	(4)
2	पन्नालाल पिता नाथू लोधी, निवासी सिमरोल.	921/1/2	0.025
3	सत्यम रियलकन प्रा. लि. के अधि. डाय. गौतम पिता गजेन्द्र जैन, निवासी इंदौर.	931, 932/1	0.094
4	राजेश गोड़ पिता त्रिभुवन गोड़, निवासी इंदौर भू-स्वामी, सिमरोल.	921/2/2 931	0.061
5	गुरुमितसिंह पिता करमसिंह, निवासी इंदौर.	930/2, 930/4 2	0.053 0.056 0.109
6	अशोक पिता शंकरलाल, निवासी महू.	930/5/2 942/2 943 3	0.052 0.082 0.012 0.146
7	मोतीराम पिता महादेवप्रसाद, निवासी सिमरोल.	947/5	0.078
योग . .			0.529

अंशुल गुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2019

क्रमांक एफ 17-09-2019-ए-ग्यारह.—विभागीय आदेश क्रमांक
एफ 20-01-2010-बी-ग्यारह, दिनांक 4 जनवरी 2011 द्वारा जारी

मार्गदर्शी बिन्दु एवं मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 की कण्डिका क्रमांक 4(2) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निम्न क्षेत्र को नमकीन क्लस्टर औद्योगिक क्षेत्र एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है:—

क्र.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	नमकीन क्लस्टर औद्योगिक क्षेत्र, करमदी, रतलाम.	रतलाम	18.140

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
भोपाल (मध्यप्रदेश)

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2019

मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 में विहित प्रावधान के अनुपालन में, मैं, तरुण कुमार पिथोडे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, भोपाल, बी आर टी. एस मार्ग, संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) से मिसरोद तक 24 किलोमीटर लंबे बी. आर. टी. एस. कॉरीडोर के मार्ग पर सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से केवल भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के वाहनों के संचालन हेतु घोषित करता हूँ.

भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के वाहनों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के वाहनों का उक्त मार्ग पर संचालन प्रतिबंधित रहेगा, केवल उक्त बी. आर. टी. एस. मार्ग पर संचालित वाहनों में यांत्रिकी खराबी होने की स्थिति में उन्हें मार्ग से बाहर करने हेतु रिकवरी वाहन (क्रेन) एवं मार्ग में रख-रखाव हेतु काम आने वाली वाहनों को संचालन की छूट प्राप्त होगी.

तरुण कुमार पिथोडे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 10 जुलाई 2019

क्र. C-3235-दो-2-41-2015.—श्री सनत कुमार कश्यप, रजिस्ट्रार (W & I), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 25 जुलाई से 03 अगस्त 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 04 अगस्त 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री सनत कुमार कश्यप, रजिस्ट्रार (W & I), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सनत कुमार कश्यप, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (W & I), के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्र. D-4399-दो-2-58-2015.—श्री अनिल वर्मा, तत्कालीन जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), इन्दौर वर्तमान में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2017 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 16 जुलाई 2019

क्र. A-2152-दो-2-67-2018.—श्री बी. एस. दीक्षित, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को दिनांक 15 से 19 जुलाई 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 जुलाई 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. एस. दीक्षित, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एस. दीक्षित, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-2154-दो-2-18-2015.—श्री सुशील कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को दिनांक 20 से 25 मई 2019 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 01 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस केवल (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. A-2156-दो-2-24-2014.—श्री अरुण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 01 जुलाई 2019 का एक दिन का स्वीकृत आकरिस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 01 से 04 जुलाई 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरुण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरुण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 19 जुलाई 2019

क्र. D-4583-दो-2-73-2018.—श्री जोगिन्दर सिंह, रजिस्ट्रार (परीक्षा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 22 से 23 जुलाई 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करके, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 20 एवं 21 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री जोगिन्दर सिंह, रजिस्ट्रार (परीक्षा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जोगिन्दर सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (परीक्षा), के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 24 जुलाई 2019

क्र. B-3625-दो-2-38-2013.—श्री अवधेश कुमार गुप्ता, तत्कालीन ओ.एस.डी., मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर वर्तमान में संकाय सदस्य (वरि.), मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 24 मई 2015 से 23 मई 2017 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-4720-दो-2-63-2017.—श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 27 जून से 11 जुलाई 2019 तक दोनों सम्मिलित करते हुए, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 25 जुलाई 2019

क्र. B-3647-दो-2-21-2018.—श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर को दिनांक 15 से 16 जुलाई 2019 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-3649-दो-2-18-2016.—श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 08 मई 2019 का 11 मई 2019 का, 15 मई 2019 का, 08 जून 2019 का, 12 जून 2019 का, 19 जून 2019 का, 22 जून 2019 का, 26 जून 2019 का, 29 जून 2019 का तथा 03 जुलाई 2019 का कुल दस दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-3651-दो-2-24-2014.—श्री अरुण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 10 जुलाई 2019 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 10 से 12 जुलाई 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरुण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरुण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-3653-दो-2-42-2014.—श्री आर. के. सोनी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 24 जून से 06 जुलाई 2019 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 07 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सोनी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सोनी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3424-दो-2-63-2017.—श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 02 से 03 अगस्त 2019 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 04 अगस्त 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 26 जुलाई 2019

क्र. C-3449-दो-2-44-2009.—श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 15 से 17 जुलाई 2019 तक, तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3451-दो-2-21-2018.—श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर को दिनांक 15 से 16 जुलाई 2019 तक, दो दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश की निरंतरता में दिनांक 17 जुलाई 2019 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3453-दो-2-40-2017.—श्रीमती शशीकला चन्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 27 से 28 जून 2019 तक, दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है।
2. दिनांक 27 से 29 जून 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 जून 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशीकला चन्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशीकला चन्द्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-3465-दो-2-102-2017.—श्री हृदेश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को दिनांक 08 से 13 जुलाई 2019 तक, छह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 12 से 13 जुलाई 2019 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.